मंगलोरगणेश बीड़ी वर्क्स और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(Mangalore Ganesh Beedi Works and Others

Vs.

Union of India and Others)

(31 जनवरी, 1974)

(मुख्य न्यायाधिपति ए० एन० रे, न्या० एच० आर० खन्ना, के० के० मैथ्यू, पी० एन० भगवती और ए० अलगिरिस्वामी)

संविधान—अनुच्छेद 19(1) (छ)—बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स आफ एम्पलायमेण्ट) ऐक्ट, 1966 के उपबन्ध भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद के अधीन गारण्टी की गई स्वतन्त्रता पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं लगाते हैं और इसलिए वे अविधिमान्य नहीं हैं और संसद् को उक्त अधिनियम बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त थी।

बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) ऐक्ट, 1966 (1966 का 32)—धारा 2(जी) (ए), 2(जी) (बी) तथा 2(एम) विधिमान्यता—उक्त धाराएं सांविधानिक दृष्टि से विधिमान्य हैं और निर्माता या व्यापार-चिह्न धारक पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं लगाती हैं।

बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स ऑफ एम्पलायमेण्ट) ऐक्ट, 1966 (1966 का 32)—धारा 44(2) (आर)—उक्त धारा के अधीन बनाए गए मैसूर रूल्स—नियम 29—रद्दकरण के बारे में पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा नियत करना युक्तियुक्त तथा उचित है।

इन पिटीशनों में पिटीशनरों तथा अपीलार्थियों में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। अधिकतर बीड़ी कारखानों के प्रोप्राइटर हैं तथा व्यापार-चिह्न के स्वामी हैं जो बीड़ियों के सम्बन्ध में व्यापार-चिह्न अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति घर पर काम करने वाले कर्मकार हैं। मोटे तौर पर इन पिटीशनरों ने बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स आफ एम्पलायमेंट) ऐक्ट, 1966 के उपबन्धों की सांविधानिकता पर आक्षेप किया है। यह दलील दी गई है कि इस अधिनियम को पारित करने के लिए संसद् को विधायी क्षमता प्राप्त नहीं थी। दूसरे, इस अधिनियम द्वारा कुछ ऐसे निर्बन्धन लगाए गए है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ) के अधीन गारण्टी की गई व्यापार तथा कारबार की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करते हैं। तीसरे, यह आक्षेप किया गया है कि इस अधिनियम द्वारा ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जो मनमानी, अतिशय तथा बाहरी हैं। यह भी आक्षेप किया गया है कि बीड़ियों के रद्द किए जाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वे असांविधानिक हैं। पिटीशनों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—इस अधिनियम का सारांश बीड़ी तथा सिगार उद्योग में नियोजन की शर्तों का विनियमन करना है। यह अधिनियम स्थापनों तथा औद्योगिक परिसरों से सम्बन्धित विशिष्ट विषय-वस्तुओं की बाबत है। ये विषय हैं: उद्योग में नियोजन की शर्तों का विनियमन तथा नियोजक और कर्मचारी के बीच सम्बन्ध। सूची 3 की प्रविष्टि 22 से 24 इतनी विस्तृत है कि श्रम कल्याण का ऐसा अभ्युपाय इनके अन्तर्गत आ जाता है। प्रविष्टि संख्या 22 श्रम कल्याण की बाबत है। प्रविष्टि संख्या 23 सामाजिक सुरक्षा, नियोजन तथा बेरोजगारी की बाबत है। प्रविष्टि संख्या 24 श्रम कल्याण से सम्बन्धित है और इसके अन्तर्गत काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार का प्रतिकर, असमर्थता एवं वृद्धावस्था पेन्शन और मातृत्व सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अधिनियम विधिमान्य अधिनियम है और सूची 3 की प्रविष्टि संख्या 22, 23 और 24 के अन्तर्गत आता है। (पैरा 30)

अधिनियम द्वारा धारा 2(इ) में संविदा श्रम (कन्ट्रैक्ट लेबर) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर में किसी ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत किसी भी निर्माण प्रक्रिया में नियोजक के ज्ञान सहित या उसके बिना लगाया गया हो या नियोजित किया गया हो। अधिनियम की धारा 2(एफ) कर्मचारी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी अभिकरण की मार्फत मजदूरी के लिए अथवा मजदूरी के बिना किसी स्थापन में कोई ऐसा

काम करने के लिए नियोजित किया गया हो जो कारीगरी का हो या न हो और इसके अन्तर्गत (1) कोई ऐसा श्रमिक जिसे कि किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा कच्ची सामग्री दी जाती है ताकि वह उससे बीड़ी और सिगार या दोनों ही घर पर बना सके (जिसे इसमें इसके पश्चात् घर पर काम करने वाले कर्मकार कहा गया है) और कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित न किया गया हो किन्तु जो नियोजक अथवा ठेकेदार के पास उसकी इजाजत के साथ या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहा हो, अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 2 (जी) में नियोजक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि उससे (क) संविदा श्रम से सम्बद्ध मुख्य नियोजक अभिप्रेत है तथा (ख) अन्य श्रम के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियन्त्रण प्राप्त है अथवा जिसे उसके द्वारा धन देने के कारण, माल का प्रदाय करने के कारण या अन्यथा किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियन्त्रण में सारवान् हित प्राप्त है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी आ जाता है जिसे स्थापन के कार्यकलाप सौंपे गये हों, चाहे ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक, अधीक्षक अथवा कोई भी अन्य नाम दिया गया हो। अधिनियम की धारा 2(एम) में मुख्य नियोजक (प्रिंसीपल एम्पलायर) की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए अथवा जिसकी ओर से कोई संविदा श्रमिक किसी स्थापन में लगाया जाता है अथवा नियोजित किया जाता है। अधिनियम की धारा 2(एच) में स्थापन (एस्टैब्लिशमेण्ट) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसकी सीमाएं भी आती हैं जिसमें अथवा जिसके किसी भाग में कोई ऐसी निर्माण क्रिया की जा रही है अथवा साधारण तौर पर की जाती है जिसका सम्बन्ध बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने से होता है और इसके अन्तर्गत औद्योगिक परिसर (इण्डस्ट्रियल प्रेमिसेज) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने से सम्बन्धित किसी उद्योग या निर्माण क्रिया को शक्ति (बिजली) की सहायता से या उसके बिना किया जा रहा हो या साधारणतया किया जाता हो। (पैरा 33)

इसलिए निर्माता अथवा व्यापार-चिह्न-धारकों को ऐसे कर्मकारों की बाबत दायित्व ग्रहण करना होता है जो उनके द्वारा सीधे नियोजित किए गए हों अथवा जो उनके द्वारा ठेकेदारों की मार्फत नियोजित किये गये हों। जहां तक औद्योगिक परिसर में कर्मकारों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई समस्या उत्पन्न नहीं

1974(1) eILR(PAT) SC 1

होती। निर्माता अथवा व्यापार-चिह्न धारक को औद्योगिक परिसर में ऐसे श्रमिकों को नियोजित करने के कारण अधिनियम के सभी उपबन्धों का पालन करना होता है। जब निर्माता ठेकेदार की मार्फत श्रमिकों को नियोजित करता है तब निर्माता की ओर से श्रमिकों को नियोजित किया जाता है और इसलिए पश्चादुक्त का संविदागत ऐसे श्रमिकों के प्रति दायित्व होता है। केवल तब जब कि ठेकेदार अपने लिए श्रमिकों को लगाता है और निर्माता को परिष्कृत उत्पाद का प्रदाय करता है वह ऐसे श्रमिकों की बाबत मुख्य नियोजक होगा और निर्माता ठेकेदार द्वारा नियोजित ऐसे श्रमिकों की बाबत अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि रद्द करने का अधिकार निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक के पास निहित है तो ऐसी दशा में ठेकेदार जो संविदागत श्रमिकों के जरिये बीड़ियां तैयार करता है, इस बात में कठिनाई महसूस करेगा कि वह यह साबित कर सके कि वह स्वतन्त्र ठेकेदार है। यदि यह ठेकेदार द्वारा निर्माता को अथवा व्यापार-चिह्न धारक को वास्तविक विक्रय व्संयवहार है तो इससे स्वतन्त्र ठेकेदार होने की ओर प्रत्यक्ष संकेत मिलेगा। (पैरा 37)

अधिनियम के उपबन्ध, विशेष रूप से वे जो कि धारा 2(जी) (ए), 2(जी) (बी) तथा 2(एम) सांविधानिक दृष्टि से विधिमान्य हैं और वे निर्माता अथवा व्यापार-चिह्न धारक पर कोई अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं लगाते हैं। (पैरा 47)

अधिनियम की धारा 27 के अधीन, किसी कर्मचारी को उन दिनों के लिए जिनमें उसने अपनी छुट्टी से ठीक पूर्व वाले मास के दौरान, किन्हीं अतिकाल उपार्जनों तथा बोनस को अपवर्जित करते हुए किन्तु महंगाई तथा अन्य भत्तों को शामिल करते हुए, काम किया हो उन दिनों के लिए उसके पूर्णकालिक उपार्जन के दैनिक औसत के बराबर दर पर संदाय किया जायेगा। इसके साथ दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। प्रथम स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि 'कुल पूर्णकालिक उपार्जन' पद के अन्तर्गत कर्मचारियों को खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय द्वारा उपगत होने वाले फायदे के बराबर नकदी भी अन्तर्विष्ट है क्योंकि कर्मचारी तत्समय उसके लिए हकदार है किन्तु बोनस इसके अन्तर्गत नहीं आता है। द्वितीय स्पष्टीकरण में यह कथन किया गया है कि छुट्टी की कालावधि के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकार को संदेय मजदूरी का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अथवा घर पर काम करने वाली किसी स्त्री को प्रसूति-प्रसुविधा के संदाय के प्रयोजन के लिए, 'दिन' से कोई ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके दौरान ऐसे घर पर काम करने वाले कर्मकार को बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए आधी रात से शुरू होने वाले 24 घण्टों की

1974(1) eILR(PAT) SC 1

कालावधि के दौरान नियोजित किया गया था। (पैरा 49)

घर पर काम करने वाले कर्मकारों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे किसी एक दिन में विनिर्दिष्ट घण्टों के लिए ही काम करें। यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 17 से 23 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं हो सकती है बल्कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को लागू हो सकती है जो औद्योगिक परिसरों में नियोजित किए गए हों, अधिनियम की धारा 26 और 27 को घर पर काम करने वाले कर्मकारों को अननुयोज्य नहीं बनाता है। अधिनियम की धारा 26 और 27 की अभिव्यक्त भाषा घर पर काम करने वाले कर्मकारों से सम्बन्धित है। वे स्थापनों में काम करते हैं। छुट्टी से ठीक पूर्व वाले मास के दौरान जिन दिनों में काम किया गया हो उनके लिए कुल पूर्णकालिक उपार्जनों का दैनिक औसत घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू होता है। कारण यह है कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों को संदाय प्रतिवस्तु के हिसाब से किया जाता है अर्थात् लपेटी गई बीड़ियों की संख्या के लिये। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अधिनियम की धारा 26 और 27 औद्योगिक परिसरों में कर्मचारियों की बाबत निर्माताओं पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाती हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 11 दिन के लिए काम करके कोई कर्मकार वार्षिक छुट्टी की दृष्टि से मजदूरी सहित एक दिन की छुट्टी के लिए हकदार हो जाता है। अधिनियम में ऐसा नहीं कहा गया है। अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि आधा दिन या उससे अधिक की छुट्टी के अंश को एक दिन की पूरी छुट्टी समझा जाएगा। इसलिए यदि प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन की दर पर समस्त छुट्टी की गणना करने पर एक दिन से अधिक की भिन्न (फ्रैक्शन) के लिए छुट्टी इस प्रकार गणित की जाती है या उपार्जित की जाती है तो उसे एक दिन की छुट्टी माना जाएगा। केवल वहां जहां कि उपार्जित छुट्टी की भिन्न विद्यमान् हो, ऐसे ग्यारह दिनों के काम के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाती है। यह कहना इस बात के समान नहीं है कि सभी मामलों में केवल ग्यारह दिन काम करने के लिए ही एक दिन की छुट्टी का उपबन्ध होगा। अधिनियम के अधीन प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन की छुट्टी के लिए हकदार होने से यह दर्शित होता है कि बीस दिन की कालावधि एक दिन की छुट्टी उपार्जित करने के लिए विहित न्यूनतम कालावधि है। (पैरा 60)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों धाराएं औद्योगिक परिसरों में तथा घर पर काम करने वाले कर्मकारों, दोनों को लागू होती हैं, 'कुल

1974(1) eILR(PAT) SC 1

पूर्णकालिक उपार्जन' पद अधिनियम की धारा 27 में आता है। धारा 17 काम के घण्टों की बाबत है। धारा 22 में काम की कालावधि की सूचना की चर्चा की गई है। धारा 17 और 22 औद्योगिक परिसरों की बाबत हैं और इसलिए वे घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती हैं। औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मकारों के लिए कुल पूर्णकालिक मजदूरी को अधिनियम की धारा 22 में अनुध्यात काम की विनिर्दिष्ट कालावधि लागू होगी। जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकार का सम्बन्ध है, छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी की गणना पूर्ववर्ती मास के दौरान, जिन दिनों उस कर्मकार ने काम किया हो, उनके लिए उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों की दैनिक औसत के प्रति निर्देश से की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कर्मकार ने तीन मास के दौरान विभिन्न दिनों में भिन्न-भिन्न राशियां उपार्जित की हों तो उन राशियों को औसत निकालने के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में गणना पहले मास के दौरान कुल उपार्जन के प्रति निर्देश से होगी और कुल पूर्णकालिक उपार्जन उसका औसत होगा। अधिनियम की धारा 27 का द्वितीय स्पष्टीकरण यह दर्शित करता है कि छुट्टी की कालावधि के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकारों को संदेय मजदूरी का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, 'दिन' से वह कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके दौरान घर पर काम करने वाले ऐसे कर्मकार को चौबीस घण्टे की किसी कालावधि के दौरान नियोजित किया गया था। इसलिए जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकार का सम्बन्ध है, 'दिन' से कोई भी कालावधि अभिप्रेत होगी। (पैरा 62)

प्रस्तुत मामले में, अधिनियम में यह कल्पना की गई है कि घर पर काम करने वाले कर्मकार किसी भी समय और एक दिन में कितने ही घण्टों तक काम करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अधिनियम के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होता है। अधिनियम में दो प्रकार के कर्मकारों के बीच प्रभेद है। ऐसे औद्योगिक परिसरों में कर्मकार की बाबत भी जहां कि कार्य की कालावधि अधिसूचित नहीं की जाती है, नियोजक के लिए यह लाजमी नहीं है कि वह किसी कर्मचारी को समस्त अधिसूचित कालावधि के लिए औद्योगिक परिसरों में काम करने के लिए अनुज्ञात करें। कर्मचारी से यह मांग की जा सकती है कि वह कार्य की समस्त अधिसूचित कालावधि के लिए काम करे, जो कि एक दिन में नौ घण्टे या एक सप्ताह में अडतालिस घण्टे से अधिक नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 17 में उपबन्ध किया गया है। (पैरा 70)

1974(1) eILR(PAT) SC 1

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रद्द किए जाने की पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के नियत किए जाने के बारे में नियम युक्तियुक्त तथा उचित हैं। सर्वप्रथम, उद्योग में अनुभव जैसा कि वह न्यूनतम मजदूरी समिति की रिपोर्ट में अभिलिखित है, पांच प्रतिशत की ऐसी सीमा का उसे सामान्य तथा नियमित कह कर समर्थन करता है। दूसरी ओर, पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के बावजूद नियोजक को इस बात की इजाजत है कि वह पांच प्रतिशत से अधिक बीड़ियां रद्द कर सके। इसके लिए नियमों के अधीन कायम किए गए समुचित प्राधिकारी के समक्ष विवाद उठाया जाता है। अधिनियम की धारा 44(2)(आर) तथा (एच) के अधीन राज्य सरकार इस बात के लिए सशक्त है कि वह उस रीति की बाबत छांटने अथवा बीड़ी या सिगार या दोनों को रद्द करने और रद्द की गई बीड़ी या सिगार या दोनों का व्ययन करने के बारे में नियम बना सके और किसी कर्मचारी द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों के रद्द किए जाने की अधिकतम सीमा नियत कर सके। अधिनियम की धारा 39(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि कर्मचारी द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों के नियोजक द्वारा रद्द किए जाने के सम्बन्ध में और नियोजक द्वारा रद्द की गई बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में नियोजक तथा कर्मचारी के बीच विवाद का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में व्यवस्थापन किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा तन्निमित विनिर्दिष्ट करे। मैसूर रूल्स के नियम 27 तथा केरल रूल्स के नियम 27 में यह उपबन्ध किया गया है कि नियोजक द्वारा रद्द की गई बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी के संदाय के लिए या बीड़ी या सिगार के नियोजक द्वारा रद्द किए जाने के सम्बन्ध में नियोजक तथा कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच विवाद नियोजक या कर्मचारी द्वारा उस क्षेत्र के निरीक्षक को लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। निरीक्षक पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद्यक का विनिश्चय करेगा। व्यथित पक्षकार को मुख्य निरीक्षक को अपील करने का अधिकार है। (पैरा 80)

अतः संसद् को इस अधिनियम को बनाने की विधायी सक्षमता प्राप्त थी और अधिनियम के उपबन्ध विधिमान्य हैं और वे संविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करते हैं। (पैरा 85)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1973] 1969 की सिविल अपील संख्या 1706, जिसका विनिश्चय 25 सितम्बर, 1973 को किया गया=[1973] 3 उम० नि० प० : 1316

सिलवर जुबली टेलरिंग हाउस और अन्य बनाम चीफ इंस्पैक्टर ऑफ शाप्स एण्ड एस्टेबिलशमेण्ट्स और एक अन्य (Silver Jubilee Tailoring House and Others *Vs.* Chief Inspector of Shops and Establishments and Another); 40

[1973] (1973) 2 एम० एल० जे० 126 :

मैसर्स के० अब्दुल अजीज साहिब एण्ड सन्स, 'फोर्ट हार्स बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स, वैल्लोर और अन्य बनाम भारत संघ (M/s. K. Abdul Azeez Sahib & Sons, Fort Horse Beedi Manufacturers, Vellore and Others *Vs.* Union of India); 21

[1972] (1972) 1 आई० एल० जे० 139 :

मैसर्स चेताभाई पुरुषोत्तम पटेल बीड़ी मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ बान्दरा और अन्य बनाम सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मार्फत इण्डस्ट्रीज एंड लेबर डिपार्टमेंट, सचिवालय, मुम्बई और अन्य (M/s. Chetabhai Purushottam Patel, Beedi Manufacturers of Bandra and Others *Vs.* State of Maharashtra by Secretary, Industries and Labour Department, Schivalaya, Bombay and Others); 22

[1972] (1972) मैसूर लॉ जरनल 450 :

पी० सैयद साहिब एण्ड सन्स बनाम मैसूर राज्य (P. Syed Saheb & Sons *Vs.* State of Mysore); 23

[1972] (1972) 1 आई० एल० जे० 340 :

चिरुकंडथ चन्द्रसेतरन बनाम भारत संघ (Chirukandeth Chandrasethran *Vs.* Union of India); 24

[1964] (1964) 7 एस० सी० आर० 646 :

डी० सी० दीवान मोहैउद्दीन साहिब एण्ड सन्स बनाम इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनल, मद्रास (D. C. Dewan

Mohideen Sahib & Sons *Vs.* The Industrial Tribunal, Madras); 38

[1964] (1964) 1 एस० सी० आर० 860 :

मैसर्स भिकुसे यामला क्षत्रिय (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य [M/s. Bhikuse Yamala Kshatriya (P) Ltd. *Vs.* Union of India and Another]; 64

[1962] (1962) सप्लीमेंट 1 एस० सी० आर० 249 :

शंकर बालाजी वाजे बनाम महाराष्ट्र राज्य (Shankar Balaji Waje *Vs.* State of Maharashtra); 64

[1961] (1961) 3 एस० सी० आर० 161 :

श्री बिरधीचन्द शर्मा बनाम फर्स्ट सिविल जज नागपुर और अन्य (Shri Birdhichand Sharma *Vs.* First Civil Judge, Nagpur and Others); 64

[1958] (1958) एस० सी० आर० 1340 :

श्री चिन्तामण राव और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (Shri Chintaman Rao and another *Vs.* The State of Madhya Pradesh); 19

[1955] (1955) 2 एस० सी० आर० 541 :

मद्रास राज्य बनाम के० एम० राजगोपालन (State of Madras *Vs.* K.M. Rajgopalan). 16

सिविल अपीली अधिकारिता : **1971 की सिविल अपील संख्या 1553, 1614-18, 1769 और 1972 की 1131-1133 और 1440.**

1970 की रिट पिटीशन संख्या 806, 837, 1152, 1486, 1592, 1638 1894, 159, 4152 और 310 में तथा 1971 की रिट पिटीशन संख्या 1456 में बंगलौर स्थित मैसूर उच्च न्यायालय के तारीख 24 जून, 1971 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें।

1972 की सिविल अपील संख्या 2516-2523, 2560-2569, 2661-2164 और 1973 की सिविल अपील संख्या 66-69, 72-75, 1307, 854-856, 857-859, 1203 और 1204.

1969 की संख्या 227, 422, 2631, 1968 की संख्या 2692, 2693, 2695, 2696, 2698, 1968 की संख्या 2680, 2683, 2688, 2689, 2691 3477, 3478, 1969 की संख्या 531, 459, 1065, 1968 की संख्या 2681, 3480, 1969 की संख्या 40 और 169, 1968 की संख्या 2854, 2855, 2856, 1969 की संख्या 468, 1968 की संख्या 2847, 2849, 2850, 2853, 1968 की संख्या 3268, 1969 की संख्या 211, 231, 276, 1968 की संख्या 2701, 2797, 1969 की संख्या 212, 1968 की संख्या 2684 और 2762 वाली रिट पिटीशनों में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 8 सितम्बर, 1972 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें।

1972 की रिट पिटीशन संख्या 127-132

(संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए)।

1972 की सिविल अपील संख्या 307-311.

(1968 की संख्या 2501, 1969 की संख्या 785, 2848, 2845 और 2846 वाली विशेष सिविल अपीलों में मुम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 30 नवम्बर, 1971 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपीलें)।

1971 की सिविल अपील संख्या 585.

(1968 की संख्या 872 वाली विशेष सिविल अपील में अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के तारीख 14/15 अक्तूबर, 1970 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील)।

1971 की संख्या 1864-1873 और 1973 की संख्या 173 वाली सिविल अपीलें।

1969 की संख्या 391-393, 1968 की संख्या 409-411, 1969 की संख्या 451, 453, 513 और 514 और 1969 की संख्या 453 वाली विशेष सिविल अपीलों में नागपुर स्थित मुम्बई उच्च न्यायालय (नागपुर न्यायपीठ) के तारीख 16/17 जुलाई, 1970 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें।

1971 की सिविल अपील संख्या 1972-1988.

(1968 की संख्या 2587, 2818, 3007, 3009, 3058, 3156, 3254, 3618, 3776, 3824, 3825, 3826, 4364, 4553, 5013, 5174 और 1969 की संख्या 1235 वाली रिट पिटीशनों में हैदराबाद स्थित आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 26 अगस्त, 1970 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें)।

अपीलार्थी की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1553 में) पिटीशनरों की ओर से (1972 की रिट पिटीशन संख्या 132 में)	सर्वश्री सोली सौराबजी, एम० रामचन्द्रन, सलीन्द्र स्वरूप, जे० बी० दादाचंजी, ओ० सी० माथुर और रवीन्द्र नारायण
अपीलार्थी की ओर से (1971 की सिविल अपील सं० 1769 में)	मैसर्स एम० रामचन्द्रन, सलीन्द्रस्वरूप, जे० बी० दादाचंजी, ओ० सी० माथुर और रवीन्द्र नारायण
अपीलार्थी की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1614 में)	श्री के० एन० भट्ट
अपीलार्थियों की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1615 और 1616 में)	सर्वश्री डी० वी० पटेल (सिविल अपील संख्या 1615 में) और एस० वी० गुप्ते (सिविल अपील संख्या 1616 में), एम० रामचन्द्रन, टी० एस० पै और ए० एस० नम्बियार
अपीलार्थियों की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1617-1618 में)	सर्वश्री टी० एस० पै, एम० रामचन्द्रन और ए० एस० नम्बियार
अपीलार्थियों की ओर से (1972 की सिविल अपील संख्या 2661-64, 1973 की 66-69 और 1973 की 857-859, 1203 और 1204 में)	सर्वश्री के० के० वेनुगोपाल, ए० एस० नम्बियार
अपीलार्थी की ओर से (1972 की सिविल अपील संख्या 1131-1133 और 1440, और अपीलार्थियों की ओर से, 1971 की सिविल अपील संख्या 585 में)	श्री विनीत कुमार

1974(1) eILR(PAT) SC 1

अपीलार्थी की ओर से (1972 की सिविल अपील संख्या 2516-23 में)	श्री के० के० वेनुगोपाल और श्रीमती एस० गोपाल कृष्णन
अपीलार्थी की ओर से (1972 की सिविल अपील संख्या 2560-69 में और 1973 की सिविल अपील संख्या 72-75 में)	सर्वश्री के० के० वेनुगोपाल और के० आर० नम्बियार
प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (1973 की सिविल अपील संख्या 1553 और 1769 में और 1972 की सिविल अपील संख्या 2516 में)	सर्वश्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी, श्री पी० परमेश्वरन् राव
प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1614, 1616-1618, 1972 की 1131-1133 और 1440 में और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1615 में) प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1553, 1614, 1616 और 1769 में) और प्रत्यर्थी सं० 1, 3, 4 और 5 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1615 में),	सर्वश्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी, आर० एन० सचदे और पी० एस० नायर
प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1617-1618 में) प्रत्यर्थी की ओर से (सिविल अपील संख्या 1131, 1132 और 1440 में) प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1133 में) और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (1972 की रिट पिटीशन संख्या 127-128 में)	श्री एम० वीरप्पा

1974(1) eILR(PAT) SC 1

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (सिविल अपील संख्या 2516-23, 2260-69, 2261-64, 66-69, 72-75, 854-59 और 1203-1204 में) और प्रत्यर्थी की ओर से (1973 की सिविल अपील संख्या 1307 में)	सर्वश्री एस० गोविन्द स्वामीनाथन, ए० वी० रंगम् और कुमारी ए० शुभाषिनी
अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील संख्या 1307 में)	सर्वश्री के० एस० राममूर्ति, ए० टी० एम० सम्पत
पिटीशनर की ओर से (रिट पिटीशन संख्या 127 में)	सर्वश्री वाई० एस० चितले, के० एस० राममूर्ति, टी० एस० पै और ए० एस० नम्बियार
पिटीशनर की ओर से (रिट पिटीशन संख्या 128 में)	सर्वश्री वाई० एस० चितले, एम० रामचन्द्रन, टी० एस० पै और ए० एस० नम्बियार
पिटीशनर की ओर से (रिट पिटीशन संख्या 129 में)	सर्वश्री एम० रामचन्द्रन, टी० एस० पै और ए० एस० नम्बियार
पिटीशनर की ओर से (रिट पिटीशन संख्या 130 में)	श्री ए० एस० नम्बियार
अपीलार्थियों की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1972-78 में) और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से (रिट पिटीशन संख्या 127-128 में)	सर्वश्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी, पी० परमेश्वरन् राव, आर० एन० सचदे और एस० पी० नायर
अपीलार्थियों की ओर से (1972 की सिविल अपील संख्या 307-311 में)	सर्वश्री डी० वी० पटेल, पी० एच० पारिख और श्रीमती सुनन्दा भंडारे
प्रत्यर्थी संख्या 1-4 की ओर से (सिविल अपील संख्या 307-308 में) और प्रत्यर्थी संख्या 1-5 की ओर से, तथा 8, 9 और 11 की ओर से (सिविल अपील संख्या 309 में), प्रत्यर्थी संख्या 1-7 की ओर से (सिविल अपील 310 में) और प्रत्यर्थी संख्या 1-6 की ओर से (सिविल अपील संख्या 311 में)	सर्वश्री नीरेन डे, एम० सी० भंडारे, (सिविल अपील संख्या 307 और 311 में), आर० एन० सचदे, और एस० पी० नायर

1974(1) eILR(PAT) SC 1

प्रत्यर्थी संख्या 1-3 की ओर से (सिविल अपील संख्या 585 में)	श्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी कुमारी एस० चक्रवर्ती, और सर्वश्री आर० एच० ढेबर, आर० एन० सचदे, और एस० पी० नायर
अपीलार्थियों की ओर से (1971 की सिविल अपील संख्या 1864 से 1873 में) और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से (1973 की सिविल अपील संख्या 173 में)	श्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी (1971 की सिविल अपील संख्या 1864 में), श्री एम० सी० भंडारे, (सिविल अपील संख्या 1864-1873 में) सर्वश्री आर० एन० सचदे और एस० पी० नायर
अपीलार्थियों संख्या 1-2 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1871 में) और अपीलार्थी (सिविल अपील संख्या 173 में) की ओर से	सर्वश्री एम० एन० फड़के, रामेश्वर नाथ
अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1864-69 में) और प्रत्यर्थी संख्या 3, 5-9, 11-13, 15-17 और 20 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1871 में)	श्री रामेश्वर नाथ
प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से (सिविल अपील संख्या 1972 में)	सर्वश्री एम० कृष्णराव, बी० कान्ता राव
मध्यक्षेपी की ओर से (धारवाड़ जिला बीड़ी वर्कर्सयूनियन, हुबली) (सिविल अपील संख्या 1553 में)	सर्वश्री नारायण नेटार और राम सेठ
मध्यक्षेपी की ओर से मध्यप्रदेश राज्य (सिविल अपील संख्या 1769 में)	सर्वश्री आर० पी० कपूर और आई० एन० श्राफ
मध्यक्षेपी की ओर से पुटय्या वीरप्पा आदि (सिविल अपील संख्या 1553 में)	सर्वश्री एस० आर० बोमई, जे० बी० दादाचंजी और पी० सी० भर्तरी
मध्यक्षेपियों की ओर से (सिविल अपील संख्या 1864 में)	श्री रामेश्वर नाथ

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति ए० एन० रे ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति रे —

इन पिटीशनों और अपीलों में बीड़ी और सिगार वर्कर्स (कंडीशन्स आफ एम्पलायमेंट) ऐक्ट, 1966 (जिसे यहां अधिनियम कहा गया है) के उपबन्धों को असांविधानिक कह कर उन पर आक्षेप किया गया है।

2. मोटे तौर पर अधिनियम पर इन आधारों पर आक्षेप किया गया है। प्रथम, संसद् को इस अध्युपाय को अधिनियमित करने के लिए कोई विधायी क्षमता प्राप्त नहीं थी। यह बीड़ी तथा सिगार उद्योग को विनियमित करने के लिए विधान है। इसलिए यह राज्य सूची संख्या 2 में प्रविष्टि सं०24 के अन्तर्गत आता है। दूसरे, अधिनियम द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन प्रत्याभूत व्यापार और कारबार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। यह अधिनियम उन मामलों में, जिनमें कि कोई बीड़ी विनिर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक मालिक तथा सेवक का कोई सम्बन्ध धारण नहीं करता है और स्वतंत्र ठेकेदारों अथवा घर में काम करने वाले कर्मकारों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रखता है, अयुक्तियुक्त भार अधिरोपित करता है। विनिर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक को संविदागत श्रम का मुख्य नियोजक बना दिया गया है। तीसरे, अधिनियम की धारा 4 ऐसी शर्तें लगाती है जो कि मनमानी, अतिशय अथवा बाह्य हैं। चौथे, धारा 7(1)(सी) औद्योगिक परिसर में प्रवेश की बाबत, धारा 26, 27 मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी की बाबत, धारा 31 नोटिस के बदले में एक मास की मजदूरी की बाबत, धारा 37 मैटरनिटी बेनीफिट्स ऐक्ट, 1961 के लागू किए जाने की बाबत तथा बीड़ियों के नामंजूर किए जाने के लिए नियम असांविधानिक हैं। ये उपबन्ध व्यापार तथा कारबार की स्वतन्त्रता पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन हैं।

3. पिटीशनर और अपीलार्थी दो प्रकार के हैं। अधिकतर बीड़ी कारखानों के प्रोप्राइटर तथा बीड़ियों की बाबत व्यापार चिह्न अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापार चिह्न के स्वामी हैं।

4. बीड़ी उद्योग इस देश में बहुत व्यापक उद्योग है। बीड़ियों का निर्माण कई प्रक्रमों में किया जाता है। प्रायः तम्बाकू को किसी अन्य तत्व के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा बीड़ी के पत्ते पर डाली जाती है जो पहले से गीला होता है जिससे कि वह पत्ते को टूट जाने से बचाने के लिए लचीला हो और उसे आकार के अनुसार काटा जाता है। तत्पश्चात् बीड़ी के पत्ते को लपेटा जाता है जिसमें तम्बाकू रखा गया होता है और फिर उसके दोनों सिरों को बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार लपेटी गई बीड़ियां संगृहीत की जाती हैं और

1974(1) eILR(PAT) SC 1

उन्हें गरमाया जाता है अथवा सेका जाता है, जिसके पश्चात् वे पैक किये जाने, लेबल लगाए जाने और बेचे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जहां प्रोप्राइटर व्यापार चिह्न का स्वामी होता है, वहां व्यापार चिह्न लेबल प्रत्येक बीड़ी पर तथा पैकटों पर लगाए जाते हैं।

5. लपेटने वाले पत्तों को गीला करने और उन्हें काटने का काम इस प्रक्रिया के कामों में से एक काम है। इस प्रयोजन के लिए बिजली का कदाचित ही कोई प्रयोग किया जाता है। यह उद्योग पूर्ण रूप से मानव श्रम पर निर्भर करता है। यदि किसी स्थान विशेष में बीड़ियों के निर्माण के लिए 20 से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है तो कारखाना अधिनियम, 1940 के उपबन्ध उस परिसर को लागू होंगे।

6. बीड़ियों के निर्माण में तीन पद्धतियों को अपनाया जाता है। प्रथम, कारखाना पद्धति है। वहां निर्माता कारखाने का स्वामी होता है। कर्मकार उसके पर्यवेक्षण से अधिक उसके कर्मचारियों के रूप में इकट्ठे हो कर काम करते हैं। दूसरा नियोजन की संविदा पद्धति है। वह पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। उस पद्धति के अधीन प्रोप्राइटर बिचौलिए को निश्चित मात्रा में बीड़ी के पत्ते और तम्बाकू दे देता है। ठेकेदार सामग्री प्राप्त करके बीड़ियों का निर्माण (1) श्रमिकों को सीधे नियोजित करके बीड़ियों का निर्माण करके अथवा (ii) घर पर काम करने वाले कर्मकारों के बीच, जिस नाम से कि वे ज्ञात हैं, और वे प्रायः स्त्रियां होती हैं जो कि अपने ही घरों में बच्चों सहित अपने कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की मदद से बीड़ियों का निर्माण करती हैं, सामग्री बांट कर करते हैं। तीसरी पद्धति बाह्य कर्मकारों की पद्धति है। वे तम्बाकू तथा बीड़ी के पत्तों से बीड़ियां बनाते हैं जिनका प्रदाय स्वयं प्रोप्राइटर द्वारा बिचौलिए के बिना किया जाता है। इस प्रकार प्रदाय की गई बीड़ियां चाहे वे बाह्य कर्मकारों द्वारा अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रदायकृत हों प्रोप्राइटरों द्वारा सेकी जाती हैं, उन पर लेबल लगाया जाता है और उन्हें पैक किया जाता है और लोगों को बेचा जाता है।

7. इन पद्धतियों के अधीन ठेकेदार कारखाना अधिनियम के लागू किए जाने से बचने के लिए, श्रमिकों को इतनी संख्या में लगाते हैं कि वह उक्त अधिनियम में दी गई कानूनी संख्या से कम रहे। कारखाना विधान से बच निकलने की दृष्टि से बीड़ियों के निर्माण के स्थानों को कई भागों में बांट दिया जाता है। कई बार वास्तविक कर्मकार तथा अन्तिम प्रोप्राइटर के बीच मालिक और सेवक का कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं होता है। शाखा प्रबन्धक अथवा ठेकेदार प्रायः बहुत मामूली आदमी होते हैं। प्रोप्राइटर बाह्य कर्मकारों को मजदूरी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है क्योंकि उनके बीच संविदा का कोई

1974(1) eILR(PAT) SC 1

स्पष्ट रूप नहीं होता है। वास्तविक कर्मकारों में अधिकतर अनपढ़ स्त्रियां होती हैं जिनका प्रोप्राइटरों तथा ठेकेदारों द्वारा दाण्डिक व्यवस्था सहित शोषण किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में शिशु श्रमिकों का अन्धाधुंध तथा ऐसा नियोजन होता है जिसका पता भी नहीं चल पाता। चूंकि स्वयं ठेकेदार प्रोप्राइटर पर निर्भर होता है इसलिए उसके पास कोई संगठित पद्धति के कोई साधन नहीं होते हैं। स्त्रियां तथा शिथिलांग व्यक्ति बीड़ियां लपेटकर कुछ धनोपार्जन कर सकते हैं। इन व्यक्तियों की निर्भरता, विशेष रूप से स्त्रियों की निर्भरता से यह दर्शित होता है कि उनकी शक्तिशाली प्रोप्राइटरों अथवा ठेकेदारों के विरुद्ध सौदाबाजी करने की तनिक भी शक्ति नहीं होती है।

8. कोई भी ठेकेदार प्रोप्राइटर के साथ तम्बाकू खरीदने के लिए तथा उसके लिए विचलित दर पर संदाय करने के लिए तथा प्रोप्राइटर को इतनी मात्रा में बीड़ियों का प्रदाय करने के लिए जो कि प्रोप्राइटर द्वारा निश्चित की जाए सहमत हो जाता है। वह इस बात का भी वचनबंध कर लेता है कि वह प्रोप्राइटर द्वारा दिए गये तम्बाकू को छोड़ कर किसी अन्य तम्बाकू का उपयोग नहीं करेगा। प्रोप्राइटर को यह प्राधिकार होता है कि वह अपने प्रतिनिधि को निर्माण के स्थान अथवा स्थानों का निरीक्षण करने के लिए वहां भेज सकता है। ठेकेदार इस बात के लिए भी वचनबन्ध करता है कि वह किसी अन्य उपक्रम के साथ बीड़ियां बनाने के लिए उसी प्रकार का कोई करार नहीं करेगा। करार में यह अनुबन्ध किया जाता है कि ठेकेदार एक मात्र ऐसा नियोजक होगा जो कि कर्मकारों द्वारा उठाए गए किन्हीं विवादों के लिए उत्तरदायी होगा।

9. 1931 में भारत में श्रमिकों के बारे में एक रायल कमीशन बनाया गया था। उसके निष्कर्ष इस प्रकार थे। बीड़ियां बनाने का काम एक ऐसा उद्योग है जो देश भर में अतिविस्तृत है। इसे भागतः घर में चलाया जाता है किन्तु मुख्य रूप से इसे बड़े-बड़े शहरों और नगरों में कर्मशालाओं में चलाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता है। किन्तु छोटी-छोटी कर्मशालाएं अत्यधिक होती हैं। मुख्य रूप से वहीं अधिक गम्भीर समस्याएं पैदा होती हैं। इन स्थानों में से बहुत से स्थान छोटे-छोटे वायुहीन बक्सों के रूप में होते हैं। वहां कोई खिड़कियां नहीं होतीं और कर्मकारों का जमघटा लगा रहता है। अन्धेरे अर्द्ध-निम्नतल (सेमी बेसमेण्ट्स) होते हैं जिनके फर्श गीली मिट्टी के होते हैं। गन्दगी को हटाने के लिए शौच सुविधाओं तथा प्रबन्धों का विशेष रूप से अभाव होता है। मजदूरी का संदाय प्रति वस्तु की दर पर किया जाता है। काम के घण्टों को विनियमित नहीं रखा जाता है। बहुत सी छोटी-छोटी कर्मशालाएं दिन रात खुली रहती हैं।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

भोजन करने के लिए कोई समय नहीं दिया जाता है। कोई साप्ताहिक छुट्टियां भी नहीं होती हैं।

10. 1944 में भारत सरकार ने श्री डी० वी० रेगे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी जिससे कि औद्योगिक श्रमिकों की दशाओं का अन्वेषण किया जा सके। रिपोर्ट में संविदा पद्धति के प्रति निर्देश किया गया था जहां कि कारखाना स्वामी बड़ी संख्या में बिचौलियों को लगाते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री का प्रदाय करते हैं और उनसे परिष्कृत उत्पाद खरीदते हैं। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि काम की अस्वास्थ्यकर दशाएं, काम के लम्बे घण्टे, स्त्रियों और बच्चों को नियोजन, मजदूरी में कटौती और संगठन की अधीनस्थ संविदा प्रणाली के प्रति तुरन्त ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। यह भी वांछनीय पाया गया कि बाहरी कर्मकारों की पद्धति समाप्त कर दी जाए और बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि संरक्षणात्मक श्रम विधान को लागू किया जा सके।

11. 1964 में मद्रास सरकार ने बीड़ी, सिगार, नसवार परिष्करण तथा रंगाई उद्योगों में श्रमिकों की दशा में एक जांच न्यायालय की नियुक्त की थी। मद्रास में बीड़ी उद्योग पर निर्भर करने वाले 90,000 कर्मकार थे। इनमें से 26,500 स्त्रियां थीं। इस उद्योग में बच्चों को सभी जगह नियोजित किया गया था। कुल कर्मकारों में से 2/5 कर्मकार बच्चे थे। घर में काम करने वाले कर्मकारों की संख्या सबसे अधिक थी। पूर्णकालिक कर्मकार विद्यमान थे किन्तु उन्हें उचित मजदूरी से कम मजदूरी मिलती थी। काम करने के स्थान, सफाई, हवा तथा रोशनी की दृष्टि से काम करने की हालत बहुत ही असन्तोषजनक थी।

12. 1954 में भारत सरकार ने श्री नटराजन, कारखाना निरीक्षक को स्थिति का निर्धारण करने के लिए नियुक्ति किया जिससे कि कर्मकारों को ज्यादा से ज्यादा विधायी संरक्षण दिया जा सके। रिपोर्ट इस प्रकार दी गई थी। यद्यपि बीड़ी के निर्माण में लगाए गये कर्मकारों की संख्या एक लाख से अधिक थी, उनमें से केवल 17,544 कारखानों में नियोजित थे। संविदा तथा घर पर काम करने की प्रणालियां प्रोपराइटर को बहुत फायदा देती थीं हालांकि कर्मकार को उससे नुकसान होता था और साथ ही श्रमिकों को, श्रमिकों की दशा के बारे में, उनकी सौदाबाजी करने की शक्ति से वन्चित रखा जाता था। नियोजक कर्मकारों की निर्धनता तथा अनपढ़ता का फायदा उठा रहे थे। काम करने के समय बहुत अधिक थे और मजदूरी बहुत कम थी, काम करने की दशा निन्दनीय थी और स्त्रियों तथा बच्चों को अनिर्बन्धित रूप से नियोजित किया गया था।

13. समस्त बीड़ी उद्योग असगंठित था और वह समस्त राज्य में बिखरा पड़ा था और उसमें बड़ी संख्या में स्त्रियों को नियोजित किया गया था। वहां जहां तक इस सगठन का सम्बन्ध है अत्यधिक सुधार की अपेक्षा थी। निर्माता कर्मकारों को कतिपय सुविधाएं देने के प्रति अनिच्छुक थे जैसे कि विश्राम स्थान, जलपान गृह, बाल अनुरक्षण गृह, उपचार पक्ष इत्यादि। अप्रत्यक्ष नियोजन पद्धति के अधीन इस उद्योग में विद्यमान हालत इससे भी अधिक खराब थी। बिचौलिए ठेकेदार परिसर में, विनिर्माता के अधीन पाए जाने वाले मानकों से अधिक अच्छे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। मजदूरी संदाय अधिनियम कारखानों को लागू होता था, किन्तु इस अधिनियम के उल्लंघनों का पता लगाना कठिन था क्योंकि विहित रजिस्टर नहीं बनाए रखे गए थे। मद्रास मैटरनिटी बेनीफिट्स ऐक्ट जो कि कारखानों को लागू होता था व्यावहारिक दृष्टि से प्रभावहीन कर दिया गया था जहां तक कि छोटे-छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई अभिलेख विद्यमान नहीं था कि स्त्रियों को नियोजित किया गया था। रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि नियोजक अपने कारखानों को, ठेकेदारों द्वारा चलाए जाने वाले छोटे-छोटे यूनिटों में विभक्त करके समस्त विद्यमान विधान की संगठित रूप से प्रवंचना करने में सफल हो गए थे क्योंकि ठेकेदारों को सामाजिक विधियों का कोई ज्ञान नहीं था।

14. काम करने के स्थानों में भी हालत खराब थी। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि काम करने वाले स्थानों में हवा, रोशनी तथा सफाई के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखने के लिए नियोजक पर उत्तरदायित्व लगाने के लिए परिसर को अनुज्ञप्त किया जाए।

15. समिति द्वारा उद्योग में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन, मजदूरी तथा मजदूरी संरचना सभी पर विचार किया गया था। समिति ने दूषित वातावरण में अस्वास्थकर काम की दशाओं, काम के लम्बे घण्टों और सम्बद्ध बुराइयों, अनियमित रूप से स्त्रियों और बच्चों के नियोजन और मजदूरी मे से कटौती के लिए हल की सिफारिश की थी। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि नियोजन को घर पर काम करने की पद्धति की संविदा केवल व्यापार की प्रोन्नति के लिए बनाई गई थी न कि उद्योग के लिए जिसका कि श्रमिक एक अभिन्नअंग हैं। इसलिए यह प्रत्याशा की जाती है कि बीड़ी उद्योग जैसे-जैसे विकास करता है वह अपने साथ श्रमिकों को भी आगे बढ़ाए और उसका संगठन इस प्रकार किया जाए कि वह कर्मकारों के प्रति अपने सामाजिक तथा नैतिक उत्तरदायित्वों का भी पालन करे।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

16. इस पृष्ठभूमि में यह अधिनियम बनाया गया था। **स्टेट ग्राफ मद्रास बनाम के० एम० राजगोपालन** (1) में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उद्योग के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए आयोगों की रिपोर्टों के रूप में पूर्ववर्ती सामग्री उद्योग को प्रचलित पद्धति तथा अवस्था की बाबत साक्ष्य में ग्राह्य है।

17. बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कंडीशंस ग्राफ एम्पलायमेन्ट) ऐक्ट, 1966 एक ऐसा अधिनियम है जो बीड़ी तथा सिगार स्थापनों में कर्मकारों के कल्याण के लिए तथा उनके कार्य की अवस्था को विनियमित करने के लिए तथा तत्सम्बद्ध अन्य विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विरचित किया गया है। उद्योग का विशेष लक्षण यह था कि ठेकेदारों के द्वारा तथा निजी ग्रावास गृहों में काम बांटकर बीड़ियों का निर्माण किया जा सके और वहां कर्मकार नियोजकों अथवा ठेकेदारों द्वारा दी गई कच्ची सामग्री को प्राप्त करते थे। नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच संबंध सुपरिभाषित नहीं था। कारखाना अधिनियम के लागू किए जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उद्योग में श्रम वर्ग असंगठित था और वह अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं था। यह उद्योग अत्यन्त गतिशील उद्योग था। इस बारे में कुछ राज्यों द्वारा विधान बनाने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ था। केन्द्रीय विधान बनाने के लिए आवश्यकता महसूस की गई। कार्य की संविदागत पद्धति, बीड़ी तथा सिगार उद्योग परिसर के अनुज्ञप्तिकरण और स्वास्थ्य, काम के घण्टे, विस्तार विश्राम कालावधि, अतिकाल, सवेतन वार्षिक छुट्टी, कच्ची सामग्री का वितरण इत्यादि के विनियमन के लिए उपबंध करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया। कई समितियों द्वारा इस बारे में उत्सुकता अभिव्यक्त की गई कि नियोजक-नियोजिती के संबंधों में और कर्मचारियो के लिए कुछ ऐसे फायदों को प्राप्त करने के लिए जो उन्हें नहीं दिए जा रहे थे किसी प्रकार का विनियमन लाया जाए।

18. कर्मचारियों तथा राज्य दोनों के लिए ही तथाकथित ठेकेदार अथवा नियोजक, जो नाम कर्मचारियों द्वारा उन्हें दिया गया है, किंचित चिन्ता का विषय रहे हैं। इन दोनों पद्धतियों के बारे में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रश्न थे जो कि बीड़ी के निर्माण में प्रचलित थे। ठेकेदार प्रायः बहुत ही मामूली आदमी होता था। उसे मुख्य नियोजक को सृष्टि समझा जाता था जो कि उसे बहुत से अवसरों पर कर्मचारियों के प्रति स्वयं अपने उत्तरदायित्व से अपने आप को बचाने के लिए एक दीवार के रूप में खड़ा कर देता था। एक अन्य व्यापक व्यथा यह थी कि बीड़ियों को दो बार जांच की जाती थी अथवा उन्हें दो बार छांटा जाता

1 (1955) 2 एस० सी० आर०541.

था जिसमें द्वितीय छंटनी जो कि नियोजक के स्थान पर की जाती थी वह सदैव कर्मचारी की अनुपस्थिति में ही की जाती थी। इस छंटनी के बारे में यह अभिकथन किया गया कि वह अत्यन्त युक्तिहीन थी और वह नियोजक की सनक पर निर्भर करती थी। जहां तक घर पर काम करने की पद्धति का संबंध है, वहां नियोजिती को कुछ फायदा प्राप्त था और नियोजक को कुछ नुकसान था। ऐसे लोग जो अपने घरों में कुछ समय दे सकते थे किन्तु वे नियोजन के प्रयोजन के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते थे उन्हें आसानी से नियोजन मिल जाता था और वे कृषि अथवा अन्य स्रोतों से होने वाली अपनी आय में कुछ जोड़ सकते थे। वे इस स्थिति में थे कि जब कभी उनके पास फुर्सत हो वे काम कर लेते थे और उनके संबंध में कारखाने के नियोजितियों की बाबत जो कड़े नियम होते हैं जैसे कि कारखाने में हाजिर होना अथवा नियत समय में काम करना और नियत घण्टों के लिए काम करना आदि वे सब नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्योग में छोटी-मोटी चोरी का दोष भी विद्यमान है। तम्बाकू जो कि एक मूल्यवान तत्व है चुरा कर कर्मचारी उसे फिर से बीड़ियों में लपेट कर और उस बेच कर कुछ और आय कमाने में समर्थ हो जाते थे।

19. इस न्यायालय में श्री **चिन्तामण राव और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] में प्रोपराइटर, विचौलिए तथा बाहर काम करने वालों के बीच संबंध का विषय विचारार्थ उत्पन्न हुआ था। एक बीड़ी कारखाने के प्रोपराइटर पर उस अधिनियम के उपबंधों के पालन न किए जाने के लिए कारखाना अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया था। प्रोपराइटर ने यह अभिवचन दिया था कि कर्मकार उसके नियोजन के अधीन नहीं थे। दलील यह दी गई थी कि सट्टेदार जो कारखाने में पाए गए थे स्वतंत्र ठेकेदार थे न कि कर्मकार। प्रबन्धतंत्र ने सट्टेदारों को तम्बाकू और कभी-कभी बीड़ी के पत्तों का प्रदाय किया था और सट्टेदार अपने ही कारखानों में अथवा किसी अन्य पक्षकार के साथ प्रबंध द्वारा बीड़ियों का निर्माण करते थे। सट्टेदारों ने इस प्रकार बनाई गई बीड़ियों को संगृहीत किया और विचार किए जाने के लिए कारखानों को उनका प्रदाय किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सट्टेदार स्वतंत्र ठेकेदार थे और वे अभिकर्ता नहीं थे। कारखाना तथा श्रम विधान को लागू करने का काम असामान्य रूप से कारखाने के विघटन की साधारण युक्ति द्वारा असम्भव बनाया जा सकता था।

20. विधानमण्डल संविदा पद्धति का विनियमन करना चाहता था। विधानमण्डल संविदा पद्धति को समाप्त नहीं करना चाहता था। अधिनियम के

---
[1] (1958) एस० सी० आर० 1340.

1974(1) eILR(PAT) SC 1

उपबंधों में ठेकेदार को बीड़ी उद्योग के अभिन्न, अंग के रूप में माना गया था। जहां 'संविदा श्रम' अथवा 'मुख्य नियोजक अथवा नियोजक पदों की परिभाषा दी गई है वहां ठेकेदार के प्रति निर्देश किया गया है। कई ऐसे कृत्य जो नियोजक द्वारा किए जाने होते हैं उनका भी ठेकेदार द्वारा निष्पादन किया जाता है। वह घर में काम करने वाले कर्मकार को तम्बाकू और पत्ते देता है और छटनी किए जाने के पश्चात् लपेटी हुई बीड़ियों का संग्रहण करता है। वह उन्हें मजदूरी का संदाय करता है। इसलिए ठेकेदार को अभिन्न अंग के रूप में बनाए रखा गया है हालांकि यह प्रयत्न किया गया है कि उद्योग में आने वाली बुराइयों को दूर किया जाए।

21. मद्रास उच्च न्यायालय ने **मैसर्स के० अब्दुल अजीज साहिब एण्ड संस, फोर्ट हार्स बीड़ी मैन्यूफैक्चर्स, वैलोर और** अन्य बनाम **भारत संघ**[1] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 2 (जी) (ए) तथा 2 (एम) में नियोजक तथा मुख्य नियोजक की परिभाषाएं विधिमान्य हैं किन्तु यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 26 और 27 व्यापार चिह्न धारकों के विरुद्ध पूर्ण रूप से अप्रवर्तनीय हैं चाहे उनका सम्बन्ध घर में काम करने वाले व्यक्तियों से हो अथवा ऐसे कर्मचारियों से हो जो किसी औद्योगिक परिसर में काम कर रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बीड़ी उद्योग में किसी कर्मकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह किसी एक दिन में किसी विहित कालावधि के लिए अथवा दिन प्रतिदिन किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विनियमित रूप से कार्य करे इसलिए मामले के स्वरूप को देखते हुए मैटरनिटी बैनीफिट्स ऐक्ट, 1961 के उपबंध ऐसे घर में काम करने वाले कर्मकारों की बाबत अप्रयोज्य हैं और इसलिए वे उन्हें लागू नहीं होते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 (1) (सी), 26, 27, 31 तथा 37 (3) जहां तक कि वे घर में काम करने वाले कर्मकारों से संबंधित हैं अधिकारातीत हैं तथा अवैध हैं और बीड़ियों के व्यापार चिह्न धारकों के प्रति और बीड़ीयों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों के प्रति अप्रवर्तनीय हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 (1) (सी) 7 (2), 26 तथा 27 अधिकारातीत हैं और अवैध हैं तथा पिटीशनरों के विरुद्ध जो कि सिगार अथवा सिगार रोलरों के निर्माता हैं अप्रवर्तनीय हैं।

22. मुम्बई उच्च न्यायालय ने **मैसर्स चेताभाई पुरुषोत्तम पटेल, बीड़ी मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ बान्दरा और अन्य** बनाम **सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्फत इन्डस्ट्रीज एण्ड लेबर डिपार्टमेन्ट, सचिवालय, मुम्बई और अन्य**[2] में यह

[1] (1973) एम० एल० जे० 125.

[2] (1972) 1 आई० एल० जे० 130.

1974(1) eILR(PAT) SC 1

अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 2 (जी) (ए) तथा 2 (एम) के उपबंध इस प्रकार अवैध हैं कि वे परिस्थिति की अपेक्षाओं से अधिक हैं क्योंकि यदि मुख्य नियोजक के सामने यह स्थिति आ जाती है कि उसे अपने अधीन काम करने वाले सभी ठेकेदारों के सभी सिविल तथा दाण्डिक दायित्वों का चाहे वे लोप से संबंधित हों अथवा कार्य करने से संबंधित हों उनका वहन करना पड़ता है तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि निर्माता घर कट पद्धति का त्याग कर देगा और किसी ऐसी पद्धति पर विचार करेगा जो अधिनियम के अधीन कम दायित्व वाली हो। मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि धारा 2 (जी) (बी) में अन्तर्विष्ट "इन रिलेशन टू अदर लेबर" (अन्य श्रमिकों के संबंध में) शब्दों को विलुप्त कर दिया जाए। मुम्बई उच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 26 और 27 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को बिल्कुल भी लागू नहीं होंगी।

23. मैसूर उच्च न्यायालय ने पी० सैयद साहिब एण्ड सन्स बनाम मैसूर राज्य[1] में-यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 3 और 4 असांविधानिक हैं और भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का उल्लंघन करती हैं। अधिनियम की धारा 3 अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना औद्योगिक परिसर की स्थापना को प्रतिषिद्ध करती है। अधिनियम की धारा 4 अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, उसके नवीकरण और रद्द किए जाने के लिए उपबन्ध करती है। मैसूर उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 26 और 27 अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं है और इस बात का पता लगाना सम्भव है कि क्या कोई घर पर काम करने वाला कर्मकार अपने आपको वार्षिक छुट्टी के योग्य बना लेता है और खोई हुई मजदूरी के लिए हानि को पूरा करना सम्भव है। मैसूर उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 31 विधिमान्य है और नियम 29 बीड़ियों को जब कि वे स्तर से न्यून हों और स्तर से न्यून बीड़ियों तथा सिगारों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक हो तो नियोजक को मजबूर करके उन्हें स्वीकार करने के लिए अयुक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित नहीं करता है। यदि नियोजक यह पाता है कि स्तर से न्यून वाली बीड़ियां तथा सिगार 5 प्रतिशत से अधिक हैं तो उसे यह मामला निरीक्षक (इंस्पैक्टर) के प्रति निर्दिष्ट करना होता है।

24. केरल उच्च न्यायालय ने चित्तकंडथ चन्द्रसेतरन बनाम भारत संघ[2] में यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 2(जी)(ए), 2(एम),

[1] (1972) मैसूर ला जर्नल 450.

[2] (1972) 1 आई० एल० जे० 340.

1974(1) eILR(PAT) SC 1

3, 4, 21, 26 और 27 के उपबन्ध कारबार अथवा व्यापार पर अयुक्तियुक्त निबन्धन लगाते हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन करते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 2(जी)(बी) में आने वाले "इन रिलेशन टू अदर लेबर" (अन्य श्रमिकों के सम्बन्ध में) शब्दों का भी लोप करना होगा। केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 3 और 4 विधिमान्य है। केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 26 और 27 घर में काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होगी। केरल उच्च न्यायालय ने केरल रूल्स के नियम 29 का इस आधार पर खण्डन कर दिया कि रद्द की जाने वाली अधिकतम रकम पर 5% का अधिरोपण एक मनमाना प्रतिशत है। केरल रूल्स सं० 29 में यह कथित किया गया था कि कोई भी नियोजक साधारणतया 2·5 प्रतिशत से अधिक को रद्द नहीं करेगा। परन्तुक में यह कथन किया गया है कि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियों को रद्द किया जा सकता है। परन्तुक में 5 प्रतिशत के इस अधिरोपण के बारे में केरल उच्च न्यायालय ने यह अर्थान्वयन किया कि वह अयुक्तियुक्त है क्योंकि यदि कर्मकारों को यह आश्वासन दे दिया जाता है कि 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियां रद्द नहीं की जाएंगी तो बीड़ियों की क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी।

25. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं० 1972-1988/1971 में यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 3 और 4 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) का अतिक्रमण करती है और इसलिए वे विधि शून्य हैं। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम की धारा 3 से 27 घर में काम करने वाले कामंकारों को लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम स्वतन्त्र ठेकेदार को वहां लागू होता है जहां कि वह अपने लिए और अपने निमित्त श्रमिकों को नियोजित करता है। वहां वह मुख्य नियोजक होता है। अधिनियम की धारा 2(जी)(ए), (बी) तथा 2(एम) में दी गई परिभाषाओं के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप मालिक और सेवक का कोई कृत्रिम सम्बन्ध उत्पन्न नहीं होता है।

26. गुजरात उच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं० 585/1971 में अधिनियम के उपबन्धों को सांविधानिक उपबन्धों के रूप में कायम रखा था।

27. पिटीशनर तथा अपीलार्थियों की ओर से प्रथम दलील यह है कि 1966 का अधिनियम विधायी सक्षमता के अभाव के आधार पर अविधिमान्य है। मद्रास, केरल, गुजरात, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों ने उचित ही इस अधिनियम के बारे में यह अभिनिर्धारित किया था कि उसे सांविधानिक

सक्षमता प्राप्त है। पिटीशनरों की ओर से हाजिर होने वाले काउन्सेल ने यह दलील दी कि सूची 2 में प्रविष्टि सं० 24 इस विधान के लिए एक मात्र विधायी प्रविष्टि है। प्रविष्टि सं० 24 में उद्योगों के बारे में सूची 1 की प्रविष्टि 7 तथा 52 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चर्चा की गई है। सूची 1 की प्रविष्टि 7 उन उद्योगों की बाबत चर्चा करती है जो संसद् के द्वारा विधि की दृष्टि से रक्षा के प्रयोजन तथा युद्ध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं। सूची 1 की प्रविष्टि सं० 52 उन उद्योगों की बाबत है जिनका संघ द्वारा नियन्त्रण संसद् द्वारा बनाई गई विधि की दृष्टि से लोक हित में समीचीन घोषित किया गया है। प्रस्तुत मामले में विधान सूची 2 की प्रविष्टि सं० 24 अथवा सूची 1 की प्रविष्टि स० 7 तथा 52 के अन्तर्गत नहीं आता है। सूची 3 की प्रविष्टि सं० 24 में श्रमिक वर्ग की चर्चा की गई है जिसमें उनके काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकारों का प्रतिकर, असमर्थता एवं वृद्धा अवस्था पेंशन तथा मातृत्व सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अधिनियम श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए है। यह उद्योगों के लिए बनाया गया अधिनियम नहीं है। विधान के सही स्वरूप तथा प्रकृति से यह दर्शित होता है कि वह उन लोगों के बीच जोकि बीड़ियों तथा सिगारों के निर्माण में लगे हुए हैं। श्रम सम्बन्धी बेहतर अवस्था लागू करने के लिए है।

28. अधिनियम की स्कीम स्वास्थ्य तथा कल्याण, नियोजन की शर्तों, मजदूरी सहित छुट्टी, श्रमिक वर्ग को अन्य अधिनियमों का लागू करके सुविधाओं के विस्तार की बाबत उपबन्धों से सम्बन्धित है। दृष्टान्त के रूप में, अधिनियम की धारा 28 मजदूरी संदाय अधिनियम के फायदों का औद्योगिक परिसरों पर विस्तार करती है। अधिनियम की धारा 31 सेवा की सुरक्षा के लिए उपबन्ध करती है। अधिनियम की धारा 37 इण्डस्ट्रियल स्टेण्डिग आर्डर्स ऐक्ट, 1946 के फायदों का विस्तार करती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 37(3) मैटरनिटी बैनीफिट्स ऐक्ट के उपबन्धों को प्रत्येक स्थापन में लागू करती हैं। अधिनियम की धारा 38(1) कारखाना अधिनियम के अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट सुरक्षा के उपबन्धों को औद्योगिक परिसरों पर लागू करती है। अधिनियम की धारा 39(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को ऐसे मामलों को लागू करती है जो प्रत्येक औद्योगिक परिसर की बाबत उत्पन्न होते हैं। अधिनियम की धारा 39(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि कच्ची सामग्री दिए जाने, बीड़ियों तथा सिगारों के रद्द किए जाने, नियोजक द्वारा रद्द की गई बीड़ियों तथा सिगारों के लिए मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में कर्मचारी तथा नियोजक के बीच पैदा होने वाले विवाद ऐसे प्राधिकारी द्वारा निपटाए जाएंगे जिसे राज्य

1974(1) eILR(PAT) SC 1

सरकार विनिर्दिष्ट करे। यहां अपील प्राधिकारी की व्यवस्था की गई है जिसे अपील की जा सकती है और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा। अधिनियम क धारा 39(1) औद्योगिक परिसरों को लागू होती है। अधिनियम की धारा 39(2) प्रत्येक स्थापन को लागू होती है।

29. अधिनियम में औद्योगिक परिसरों को अनुज्ञप्त किए जाने की चर्चा की गई है। अधिनियम के अधीन होने वाले फायदों का विस्तार औद्योगिक परिसरों तथा स्थापनों को किया जाता है। स्थापनों से ऐसे स्थान भी अभिप्रेत है जिनमें घर पर काम करने वाले कर्मकार कार्य करते हैं।

30. इस अधिनियम का सारांश बीड़ी तथा सिगार उद्योगों में नियोजन की शर्तों का विनियमन करना है। यह अधिनियम स्थापनों तथा औद्योगिक परिसरों से सम्बन्धित विशिष्ट विषय-वस्तुओं की बाबत है। ये विषय उद्योग में नियोजन की शर्तों का विनियमन तथा नियोजक और कर्मचारी के बीच सम्बन्ध हैं। सूची 3 की प्रविष्टि 22 से 24 इतनी विस्तृत हैं कि श्रम कल्याण का ऐसा अभ्युपाय इनके अंतर्गत आ जाता है। प्रविष्टि सं० 22 श्रम कल्याण की बाबत है। प्रविष्टि सं० 23 सामाजिक सुरक्षा, नियोजन तथा बेरोजगारी की बाबत है। प्रविष्टि सं० 24 श्रम कल्याण से सम्बन्धित है और इसके अंतर्गत काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार का प्रतिकर, असमर्थता एवं वृद्धा अवस्था पेंशन और मातृत्व सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अधिनियम विधिमान्य अधिनियम है और सूची 3 की प्रविष्टि सं० 22, 23 और 24 के अन्तर्गत आता है।

31. अधिनियम की धारा 3 और 4 को यह कह कर चुनौती दी गई थी कि वे अनुच्छेद 19(1)(छ) तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं क्योंकि इनमें प्रक्रिया सम्बन्धी अयुक्तियुक्त: है और अपेक्षित रक्षोपायों के बिना अनुज्ञप्तिकरण प्राधिकारी को अनियंत्रित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इन दोनों धाराओं में औद्योगिक परिसरों की बाबत अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है। ये उपबंध व्यापार चिह्न धारियों तथा ठेकेदारों को लागू होते हैं। औद्योगिक परिसरों की बाबत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बारे में विनिर्माताओं को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि ठेकेदार अपने लिए और अपनी ओर से श्रमिकों का नियोजन करते हैं तो ठेकेदारों को औद्योगिक परिसरों में बीड़ियों के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। सुसंगत प्राधिकारियों को अनुज्ञप्ति मंजूर करने अथवा नामंजूर करने के विषय में कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। ये बातें जैसी कि वे अधिनियम की धारा 4 में उपवर्णित हैं इस प्रकार है—(क) उस स्थान या परिसर का औचित्य जिसका

1974(1) eILR(PAT) SC 1

उपयोग करने की बीड़ी या सिगार के निर्माण के लिए प्रस्थापना है, (ख) आवेदक का पूर्वानुभव, (ग) आवेदक के वित्तीय साधन जिनके अन्तर्गत श्रम कल्याण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों से पैदा होने वाली मांगों को पूरा करने की उसकी वित्तीय क्षमता भी शामिल है, (घ) क्या आवेदन स्वयं आवेदक की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सद्भावपूर्वक किया गया है और (ङ) जनसाधारण के हित में स्थान विशेष के लिए श्रम कल्याण और ऐसे अन्य विषय जैसे विहित किए जाएं। अनुज्ञप्तिकरण प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि यदि वह अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करता है तो वह लिखित रूप में अपने कारणों की सूचना दे। अधिनियम की धारा 5 में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने के लिए उपबन्ध किया गया है। अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उससे इंकार करने की शक्ति आवश्यक मार्गदर्शन द्वारा पर्याप्त रूप से नियन्त्रित रखी गई है। शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए रक्षोपाय किए गए हैं। अपील करने का अधिकार एक बड़ा रक्षोपाय है। अनुज्ञप्ति मंजूर करने की बाबत धारा 4 में उपदर्शित विभिन्न बातों से न केवल उन विभिन्न लक्षणों का संकेत मिलता है जिन पर विचार किया जाना होता है बल्कि यहां किसी मनमानी कार्यवाही का भी बहिष्कार किया गया है। अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उससे इन्कार करने का अवधारण करने के लिए तंत्र तथा प्रक्रिया दोनों ही विद्यमान हैं। अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन का अवधारण ऐसे निरपेक्ष तत्वों के आधार पर किया जाता है जो उक्त धारा में अधिकथित हैं। अधिनियम की धारा 3 और 4 में न तो कोई अनौचित्य है और न ही अयुक्तियुक्तता।

32. अधिनियम की विधिमान्यता को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अधिनियम बीड़ियों और सिगारों के निर्माण सम्बन्धी व्यापार तथा कारोबार करने के अपने अधिकार को चलाने में विनिर्माताओं पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाता है। अयुक्तियुक्त निर्बंधन के बारे में यह कहा गया था कि इसमें उन स्वतन्त्र ठेकेदारों के मामले में जिनकी मार्फत वे बीड़ियां और सिगार प्राप्त करते हैं और जिनके कर्मचारियों पर उन्हें कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है और जिनके साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता है कार्यवाहियों तथा लोपों के लिए निर्माताओं पर प्रतिनिहित दायित्व लगाया गया है। अधिनियम की धारा 2(ई) तथा (एफ) के साथ पठित धारा 2(जी)(ए) तथा 2(एम) के उपबन्धों के बारे में यह कहा गया है कि वे नियोजक की एक सर्वथा कृत्रिम तथा फर्जी परिभाषा की सृष्टि करते हैं और इस प्रकार वे ऐसे विभिन्न विषयों की बाबत जिनके परिणामस्वरूप सिविल तथा दाण्डिक दायित्व उत्पन्न

1974(1) eILR(PAT) SC 1

होते हैं बीड़ियों के निर्माता अथवा व्यापारी पर प्रतिनिहित दायित्व लगाते हैं। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की बाबत जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्हें वे नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं, बीड़ी के निर्माता अथवा व्यापारी पर दायित्व अधिरोपित किए गए हैं। घर पर काम करने वाले कर्मकार हजारों की संख्या में होते हैं। निर्माता के लिए यह असम्भव है कि उसे इस बात की कुछ भी पहचान हो कि बीड़ियां तैयार करने वाले व्यक्ति कौन-कौन हैं अथवा वे कौन से परिसर हैं जहां वे काम करते हैं। कर्मकार को कच्ची सामग्री का परिदान कर दिया जाता है कि वह स्वयं बीड़ियां लपेटने का काम करे न कि वह किसी अन्य व्यक्ति से इस कार्य को करवाए। इसलिए यह कहा गया है कि प्रतिनिहित दायित्व अधिरोपित करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार विद्यमान नहीं है। यद्यपि संविदा श्रम के सम्बन्ध में दायित्व तथा बाध्यताएं बहुत अधिक हैं। यह कहा गया है कि ऐसे अधिकारों की तत्स्थानी कोई सृष्टि नहीं की गई है जो कि सामान्य रूप से नियोजक के पास अपने कर्मचारियों की बाबत विद्यमान होते हैं। निर्माता पर दायित्व अधिरोपित करने वाले अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का सामूहिक प्रभाव तथा बल इतना है कि उसके बारे में यह कहा गया है कि वह निर्माता अथवा व्यापारी के लिए यह सम्भव बना देता कि वह अपना कारबार कर सके। वाणिज्य की दृष्टि से निर्बन्धनों के बारे में यह कहा गया है कि वे अत्यधिक तथा अयुक्तियुक्त हैं।

33. अधिनियम द्वारा धारा 2(ई) में संविदा श्रम (कंट्रैक्ट लेबर) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर में किसी ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत किसी भी निर्माण प्रक्रिया में नियोजक के ज्ञान सहित या उसके बिना लगाया गया हो या नियोजित किया गया हो। अधिनियम की धारा 2(एफ) कर्मचारी को इस प्रकार परिभाषित करती है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी अभिकरण की मार्फत मजदूरी के लिए अथवा मजदूरी के बिना किसी स्थापन में कोई ऐसा काम करने के लिए नियोजित किया गया हो जो कारीगरी का हो या न हो और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा श्रमिक जिसे कि किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा कच्ची सामग्री दी जाती है ताकि वह उसके बीड़ी और सिगार या दोनों ही घर पर बना सके (जिसे इसमें इसके पश्चात् घर पर काम करने वाला कर्मकार कहा गया है) और कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित न किया गया हो किन्तु जो नियोजक अथवा ठेकेदार के पास उसकी इजाजत के साथ या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहा हो अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 2(जी) में नियोजक की परिभाषा

इस प्रकार दी गई है कि उससे (क) संविदा श्रम के सम्बन्ध मुख्य नियोजक अभिप्रेत है तथा (ख) अन्य श्रम के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियन्त्रण प्राप्त है अथवा जिसे उसके द्वारा धन देने के कारण, माल का प्रदाय करने के कारण या अन्यथा किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियन्त्रण में सारवान् हित प्राप्त है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी आ जाता है जिसे स्थापन के कार्यकलाप सौंपे गये हों, चाहे ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक, अधीक्षक अथवा कोई भी अन्य नाम दिया गया हो। अधिनियम की धारा 2 (एम) में मुख्य नियोजक (प्रिंसिपल एम्पलायर) की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए अथवा जिसकी ओर से कोई संविदा श्रम किसी स्थापन में लगाया जाता है अथवा नियोजित किया जाता है। अधिनियम की धारा 2(एच) में स्थापन (एस्टैब्लिशमेंट) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसकी सीमाएं भी आती हैं जिनमें अथवा जिसके किसी भाग में कोई ऐसी निर्माण क्रिया की जा रही है अथवा साधारण तौर पर की जाती है जिसका सम्बन्ध बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने से होता है और इसके अन्तर्गत औद्योगिक परिसर भी शामिल है। अधिनियम की धारा 2 (i) में औद्योगिक परिसर (इण्डस्ट्रियल प्रेमिसेज) की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने से सम्बन्धित किसी उद्योग या निर्माण क्रिया को शक्ति (बिजली) की सहायता से या उसके बिना किया जा रहा हो या साधारणतया किया जाता हो।

34. इन परिभाषाओं से इन लक्षणों का पता चलता है, प्रथम, एक तो औद्योगिक परिसरों में कर्मकार होते हैं और दूसरे स्थापन में कर्मकार होते हैं, द्वितीय, अधिनियम में घर पर काम करने वाले कर्मकारों को अभिज्ञात किया गया है। तीसरे, अधिनियम में ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत लगाए गए संविदा श्रमिकों को अभिज्ञात किया गया है। चौथे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा कच्ची सामग्री दी जाती है कर्मचारी होता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भले ही किसी नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित न किया गया हो किन्तु जो नियोजक अथवा ठेकेदार की इजाजत से अथवा उसके साथ करार के अधीन काम कर रहा हो कर्मचारी होता है। पांचवें जहां तक संविदा श्रम का प्रश्न है मुख्य नियोजन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए और जिसकी ओर से किसी स्थापन में श्रमिकों को लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है। छठे, अन्य श्रमिकों के सम्बन्ध में नियोजक एक

1974(1) eILR(PAT) SC 1

ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियन्त्रण प्राप्त होता है अथवा जिसे धन लगा कर, माल का प्रदाय करके या अन्यथा किसी स्थापन के कार्यकलाप में सारवान् हित प्राप्त है।

35. नियोजकों के दोनों वर्गों को मोटे तौर पर नियोजक तथा मुख्य नियोजक के रूप में परिभाषित किया गया है। पहली किस्म निर्माता की है जो सीधे श्रमिकों को नियोजित करता है। ऐसा निर्माता श्रमिकों को नियुक्त करके अधिनियम की धारा 2(जी) (बी) के अर्थान्तर्गत नियोजक बन जाता है। नियोजक का दूसरा वर्ग मुख्य नियोजक का वर्ग है जो कि ठेकेदार की मार्फत, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(ए) में परिभाषित है, ऐसे श्रमिकों की नियुक्ति करता है, जिसे 'संविदागत श्रमिक' कहा गया है। ये श्रमिक निर्माता द्वारा या उसकी ओर से लगाए जाते हैं जो कि मुख्य नियोजक बन जाता है। नियोजक का तीसरा प्रवर्ग वह ठेकेदार है जो कि उसके लिए तथा उसकी ओर से कार्य का निष्पादन करने के लिए श्रमिकों को लगाता है। ऐसा ठेकेदार निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक से कार्य हाथ में ले सकता है, किन्तु वह इस आधार पर संविदागत श्रमिकों के सम्बन्ध में मुख्य नियोजक बनता है कि श्रमिकों का नियोजन उसके लिए तथा उसके निमित्त किया गया है। नियोजक की चौथी किस्म वह है जहां कि ठेकेदार किसी ठेकेदार के अधीनस्थ ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसी दशा में ठेकेदार उस अधीनस्थ ठेकेदार से यह मांग कर सकता है कि वह ठेकेदार की ओर से तथा उसके निमित्त श्रमिकों की नियुक्ति करे। ऐसी दशा में, ठेकेदार मुख्य नियोजक होगा क्योंकि अधीनस्थ ठेकेदार उस ठेकेदार के लिए और उसके निमित्त संविदागत श्रमिकों की नियुक्ति करता है जो कि मुख्य नियोजक है। नियोजक का 5वां वर्ग वह वर्ग है जहां कि कोई व्यक्ति धन पेशगी देकर अथवा माल का परिदाय करके या अन्यथा किसी स्थापन के नियंत्रण में सारवान् हित धारण करते हुए श्रमिकों का नियोजक बन जाता है। उदाहरणार्थ किसी औद्योगिक परिसर के कब्जे में कोई बन्धक गृहीता किसी औद्योगिक परिसर में अथवा किसी स्थापन में निर्मित माल जिसके पास रखे गए हों वह व्यक्ति किसी निर्माता से सम्बन्धित धन जुटाने वाले व्यक्ति अथवा ठेकेदार या अधीनस्थ ठेकेदार अधिनियम में वर्णित ऐसे प्रतिफल के कारण नियोजक बन सकता है।

36. ऐसे मामलों में जिनमें कि निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक स्वयं श्रमिकों को नियोजित करता है, मालिक और सेवक का सीधा सम्बन्ध होता है और इसलिए उस सम्बन्ध के कारण दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मामले में अयुक्तियुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। द्वितीय प्रवर्ग में

निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक किसी ठेकेदार की मार्फत संविदागत श्रमिकों को नियुक्त करता है और वह मुख्य नियोजक बन जाता है। यद्यपि ऐसे श्रमिकों को निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक के ज्ञान के बिना किसी ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यह संविदागत श्रमिक वर्ग मुख्य नियोजक के लिए लगाया जाता है, जो कि स्वयं व्यापार चिह्न धारक अथवा निर्माता हो। दायित्व मुख्य नियोजक के लिए या उसकी ओर से संविदागत श्रमिकों के आधार पर उत्पन्न होता है। तीसरे प्रवर्ग में ठेकेदार इस कारण मुख्य नियोजक होता है क्योंकि ठेकेदार अपने लिए या स्वयं अपनी ओर से श्रमिकों की नियुक्ति करता है। जहां पर ठेकेदार निर्माता के लिए श्रमिकों की नियुक्ति करता है, वहां यह अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं होगा कि निर्माता पर, ठेकेदार की मार्फत निर्माता द्वारा लगाए गए श्रमिकों के लिए, दायित्व अधिरोपित किया जाए। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम उस व्यक्ति पर दायित्व लगाता है जो स्वयं श्रमिकों को लगाता है अथवा उस व्यक्ति पर जिसके लिए और जिसकी ओर से श्रमिक नियोजित किया जाता है अथवा वहां जहां पर कोई व्यक्ति स्थापन के कार्यकलाप के नियन्त्रण में सारवान् हित रखने के कारण या धन जुटाने के कारण स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम रूप से नियन्त्रण धारण करता है।

37. इसलिए निर्माता अथवा व्यापारचिह्न धारकों को ऐसे कर्मकारों की बाबत दायित्व ग्रहण करना होता है जो उनके द्वारा सीधे नियोजित किए गए हों अथवा जो उनके द्वारा ठेकेदारों की मार्फत नियोजित किए गए हों। जहां तक औद्योगिक परिसर में कर्मकारों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। निर्माता अथवा व्यापारचिह्न धारक को औद्योगिक परिसर में ऐसे श्रमिकों को नियोजित करने के कारण अधिनियम के सभी उपबन्धों का पालन करना होता है। जब निर्माता ठेकेदार की मार्फत श्रमिकों को नियोजित करता है तब निर्माता की ओर से श्रमिकों को नियोजित किया जाता है और इसलिए पश्चादुक्त का संविदागत ऐसे श्रमिकों के प्रति दायित्व होता है। केवल तब जबकि ठेकेदार अपने लिए श्रमिकों को लगाता है और निर्माता को परिष्कृत उत्पाद का प्रदाय करता है वह ऐसे श्रमिकों की बाबत मुख्य नियोजक होगा और निर्माता ठेकेदार द्वारा नियोजित ऐसे श्रमिकों की बाबत अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि रद्द करने का अधिकार निर्माता अथवा व्यापारचिह्न धारक के पास निहित है तो ऐसी दशा में ठेकेदार, जो संविदागत श्रमिकों के जरिए बीड़ियां तैयार करता है, इस बात में कठिनाई महसूस करेगा कि वह यह साबित कर सके कि वह स्वतंत्र ठेकेदार है। यदि यह ठेकेदार द्वारा निर्माता को अथवा

1974(1) eILR(PAT) SC 1

व्यापारचिह्न धारक को वास्तविक विक्रय संव्यवहार है, तो इससे स्वतन्त्र ठेकेदार होने की ओर प्रत्यक्ष संकेत मिलेगा।

38. इस न्यायालय ने **डी० सी० दीवान मोहिउद्दीन साहिब एण्ड सन्स बनाम इण्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल, मद्रास**[1] में अधिकथित स्वतन्त्र ठेकेदार को तम्बाकू तथा पत्तों का परिदाय किया गया था और नियोजित कर्मकारों की मजदूरी के लिए कुछ राशियों का तथा स्वयं अपनी मेहनत के लिए संदाय किया गया था। कथित स्वतत्र ठेकेदार उस मामले में अपीलार्थी का कर्मचारी अथवा अभिकर्ता मात्र था। कथित स्वतन्त्र ठेकेदार को सर्वथा कोई स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। प्रोपराइटर अपनी मर्जी के अनुसार कच्ची सामग्री का परिदाय कर सकता था अथवा करने से इंकार कर सकता था। ठेकेदार को उसे कच्ची सामग्री दिए जाने पर जोर देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। कथित ऐसे किसी स्वतन्त्र ठेकेदार के बीच काम का वितरण किया गया था और उनसे यह कहा गया था कि वे कारखाना अधिनियम के अधीन विनियमन से बचने के लिए किसी एक स्थान में 9 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति नियोजित न करें। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उस मामले में यह बात साबित हो गई थी कि अपीलार्थी और कर्मचारियों के बीच मालिक और सेवक का कोई सम्बन्ध विद्यमान नहीं था जो कि स्वतन्त्र ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए थे। यदि यह पाया जाता है कि निर्माता अथवा व्यापारचिह्न धारक इस आधार पर उत्तरदायी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ वे व्यवहार कर रहे हैं, वे वस्तुतः स्वतन्त्र ठेकेदार हैं तो ऐसे स्वतन्त्र ठेकेदार के बारे में यह समझा जाना होगा कि वे अधिनियम के अर्थान्तर्गत मुख्य नियोजक हैं।

39. पिटीशनरों तथा अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई थी कि सामान्य विधि में किसी व्यक्ति को स्वतन्त्र ठेकेदार के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे किसी स्वतन्त्र ठेकेदार के द्वारा किसी विधि के उल्लंघन के लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। इस दलील की जांच उस भाषा को ध्यान में रखते हुए करनी होगी जिसका प्रयोग संविदागत श्रमिक, संविदा, स्थापन, नियोजक तथा मुख्य नियोजक पदों की परिभाषा में किया गया था। विशेष रूप से यह कहा गया था कि जब घर पर काम करने वाले कर्मकारों को सीधे निर्माताओं द्वारा तम्बाकू और पत्ते दिए जाते हैं तो घर पर काम करने वाले लोग उनके नियन्त्रण के अधीन नहीं होंगे और निर्माताओं को उनके घर पर काम करने वाले कर्मकारों के लिए कोई प्रसुविधाएं अथवा छुट्टी के सम्बन्ध में सुविधाएं दिए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।

---

[1] (1964) 7 एस० सी० आर० 646.

1974(1) eILR(PAT) SC 1

40. इस न्यायालय ने **सिलवर जुबली टेलरिंग हाउस और अन्य बनाम चीफ इंस्पेक्टर आफ शाप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेण्ट्स और एक अन्य**[1] में इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या उस मामले में टेलरिंग हाउस तथा कर्मकारों के बीच नियोजक-कर्मचारी का सम्बन्ध विद्यमान था। उस मामले में नियोजित व्यक्ति की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई थी जो उसमें दुकान के कारबार के सम्बन्ध में पूर्णत: या मुख्यत: नियोजित किया गया हो। कर्मकारों को प्रति-खण्ड के आधार पर संदाय किया जाता था। वे दुकान में तभी हाजिर रहते थे यदि वहां काम होता था। कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी की दर समान नहीं थी। दर कर्मकार की कुशलता तथा कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती थी। कर्मकारों को सीने के लिए कपड़ा दिया जाता था। उन्हें यह बताया जाता था कि कपड़ा कैसे सीया जाएगा। यदि वे उसे अनुदेशों के अनुसार नहीं सीते थे तो नियोजक काम को रद्द कर देता था। कर्मकार से यह कहा जाता था कि वह उसे फिर से सीये। यदि फिर भी काम अनुदेश के अनुसार नहीं किया जाता था तो उस कर्मकार को आगे कोई काम नहीं दिया जाता था। यदि कोई कर्मकार किसी दिन दुकान में नहीं आता था तो उसे छुट्टी के लिए आवेदन नहीं देना पड़ता था। यदि कोई काम नहीं होता था तो कर्मचारी इस बात के लिए स्वतन्त्र था कि वह दुकान में से जा सकता था। सभी कर्मकार दुकान में ही काम करते थे। कुछ कर्मकार ऐसे थे जो कपड़ों को सीने के लिए घर ले जा सकते थे।

41. न्यायाधिपति मैथ्यू ने न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए इस न्यायालय के तथा आंग्ल और अमेरिकी विनिश्चयों का हवाला दिया और वे इन निष्कर्षों पर पहुंचे थे। पहला, हाल ही के वर्षों में नियन्त्रण परीक्षा, जैसी कि वह प्रथा के अनुसार विरचित की गई है, एकमात्र परीक्षा नहीं मांगी गई है। नियन्त्रण एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा, संगठन परीक्षा, अर्थात् यह एक सुसंगत तथ्य है कि कर्मकार दुकान में हाजिर होते हैं और वहां काम करते हैं। यदि कर्मकार उपस्कर की व्यवस्था करता है तो यह इस बात का कुछ संकेत देता है कि संविदा सेवा सम्बन्धी संविदा है। यदि अन्य पक्षकार उपस्कर की व्यवस्था करता है तो यह इस बात का कुछ साक्ष्य होता है कि वह स्वतन्त्र ठेकेदार है। जहां कि सेवकों के लिए स्वयं अपनी उपस्कर की व्यवस्था करने की प्रथा को वहां उपस्कर के तथ्य से कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता है। संयत्र तथा विस्तृत रूप से साज सामान को छोड़ कर जहां केवल लघु स्वरूप के औजारों की व्यवस्था की जाती है वहां आजकल कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।

---

[1] 1969 को सिविल अपील सं० 1706, जिसका विनिश्चय 25 सितम्बर, 1973 को किया गया- [1973] 3 उम० नि० प०. 1316

तीसरा, यदि नियोजक की तैयार वस्तु को रद्द करने का ऐसी दशा में अधिकार हो जहां कि वह नियोजक के अनुदेश के अनुरूप न हो और जहां कर्मकार को फिर से सीने का आदेश दिया गया हो वहां भी नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण का तत्व जिसका कि इस न्यायालय के विनिश्चयों में सूत्रपात किया गया है विद्यमान होगा। चौथा, कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोजकों का सेवक हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई सेवक किसी एक स्वामी के अनन्य नियन्त्रण में ही रहे। उसे एक से अधिक नियोजकों के अधीन नियोजित किया जा सकता है। पांचवें, यह कि कर्मकारों के लिए यह लाजमी नहीं कि वे सारा दिन दुकान में ही काम करें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अन्तिम विश्लेषण करने पर यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि मालिक और सेवक के सम्बन्ध का अवधारण इस प्रकार किया जाए।

42. वर्तमान विधान का आशय श्रमिक वर्ग के लिए कल्याण सम्बन्धी कायदे और सुविधाएं प्राप्त करना है। यही कारण है कि निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक मुख्य नियोजक बनवाता है भले ही उसके द्वारा संविदागत श्रमिकों का नियोजन ठेकेदार की मार्फत किया गया हो। वह यह कह कर कि उसने काम करने के लिए ठेकेदार की मार्फत श्रमिकों को लगाया है और इसलिए वह श्रमिक वर्ग के लिए उत्तरदायी नहीं है अपने ऊपर परिनियम द्वारा अधिरोपित दायित्व से नहीं बच सकता है। चूंकि ठेकेदार बीड़ियों का निर्माण करने के लिए मुख्य नियोजक का अभिकर्ता है इसलिए वह मुख्य नियोजक के नियंत्रण के अध्यधीन है। यही कारण है कि परिनियम में यह कहा गया है कि यद्यपि ठेकेदार श्रमिकों की नियुक्ति नियोजक के ज्ञान के बिना करता है तो भी मुख्य नियोजक ऐसे श्रमिकों के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि श्रमिकों की नियुक्ति उसके लिए अथवा उसकी ओर से की गई हैं। अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम लाग पुस्तिकाओं तथा रजिस्टरों को बनाए रखने के लिए नियम विहित करते हैं। जहां कि निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक सीधे श्रमिकों को नियोजित करता है वहां निर्माता रजिस्टरों तथा रोजनामचों को बनाए रखता है। जहां निर्माता किसी ठेकेदार की मार्फत संविदागत श्रमिकों की नियुक्ति करता है वहां निर्माता ठेकेदार से यह अपेक्षा करेगा कि वह संविदागत श्रमिकों की बाबत ऐसी लाग पुस्तिकाओं को बनाए रखे और ऐसी लाग पुस्तिकाओं तथा रजिस्टरों के जरिए वह न केवल ठेकेदारों पर बल्कि श्रमिक वर्ग पर भी नियंत्रण रखेगा।

43. मुख्य नियोजक कारबार का वास्तविक स्वामी होता है। उसके पास कारबार का वास्तविक नियंत्रण रहता है। उसे इसलिए दायित्वाधीन ठहराया जाता है क्योंकि वह ठेकेदार के द्वारा उसके लिए तथा उसकी ओर से नियोजित

श्रमिक वर्ग पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखता है। कल्याण सम्बन्धी उपायों के फायदे कर्मकारों को केवल तभी प्राप्त होते हैं जब मुख्य नियोजक का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व होता है। कल्याण सम्बन्धी उपायों का आधार, कर्मकारों के स्वास्थ, सुरक्षा तथा मजदूरी के सम्बन्ध में कर्मकारों के हित में निहित है जिसके अन्तर्गत छुट्टी तथा पारिवारिक जीवन के फायदे भी शामिल हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय तथा केरल उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(जी) तथा 2(एम) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को अभिखण्डित कर दिया था जहां तक कि उनका सम्बन्ध इस बात से था कि मुख्य नियोजक का संविदागत श्रमिकों के लिए दायित्वाधीन होना कारबार करने के निर्माता के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। यह मत इस आधार पर अग्रसर होता है कि मुख्य नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए दायित्वाधीन है। अधिनियम में स्वतन्त्र ठेकेदार की परिभाषा नहीं दी गई है और न उसमें स्वतन्त्र ठेकेदार का उल्लेख ही किया गया है। अधिनियम में मुख्य नियोजक की चर्चा संविदागत श्रमिक के सम्बन्ध में तथा नियोजक की चर्चा अन्य श्रमिक के सम्बन्ध में की गई है। जब कोई ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति के लिए अथवा उसकी ओर से श्रमिकों की नियुक्ति करता है तो वह अन्य व्यक्ति मुख्य नियोजक बन जाता है। महान्यायवादी ने उचित ही यह कहा था कि यदि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए श्रमिकों की नियुक्ति करता है तो वह संविदागत श्रमिकों का मुख्य नियोजक होगा। ऐसे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अभिकरण का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

44. किसी ऐसे मामले में जहां कि कोई औद्योगिक निर्माता यह सुविधापूर्ण समझता है कि किसी काम को स्वयं अपने आदमी नियोजित करने की बजाय ठेके पर काम दे दिया जाए तो उसे तत्स्थानी बाध्यताएं उपगत किए बिना श्रमिकों की नियुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि ठेकेदार श्रमिकों के काम की हालत या उनकी मजदूरी या उनकी छुट्टी या उनके अन्य फायदों के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा। यह असाधारण नहीं है कि श्रमिक किसी ठेकेदार के लिए ऐसे निबन्धनों पर काम करते हैं जो इस विधि का समाधान करने के लिए अभिकल्पित हैं कि वे सेवक नहीं हैं बल्कि स्वतन्त्र ठेकेदार हैं।

45. प्रस्तुत मामले में इस बात का पता लगाना तात्विक नहीं है कि स्वतन्त्र ठेकेदार किसे कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि जहां तक वर्तमान अधिनियम का सम्बन्ध है स्वतन्त्र ठेकेदार वे ठेकेदार होते हैं जो स्वयं

1974(1) eILR(PAT) SC 1

अपने लिए और अपनी ओर से श्रमिकों को नियोजित करते हैं। जांच का विषय केवल यह हो सकता है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा अपने लिए और स्वयं अपनी ओर से श्रमिकों को नियोजित किया गया है। यदि इस बात का उत्तर सकारात्मक है तो ऐसा ठेकेदार धारा 2(जी) (ए) के अर्थान्तर्गत मुख्य नियोजक होगा।

46. ऐसा प्रतीत होता है कि यथास्थिति मुख्य नियोजक अथवा नियोजक इस आधार पर दायित्वाधीन है कि श्रमिकों का नियोजन मुख्य नियोजक अथवा नियोजक के लिए या उसकी ओर से किया गया है। जहां तक संविदागत श्रमिकों का सम्बन्ध है मुख्य नियोजक, वह व्यक्ति है जिसके लिए अथवा जिसकी ओर से किसी स्थापन में किसी संविदागत श्रमिक को लगाया जाता है। अन्य श्रमिकों के सम्बन्ध में नियोजक वह व्यक्ति है जिसे अधिनियम की धारा 2(जी) (बी) में तथा परिभाषित किसी स्थापन के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है अथवा जिसे किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियंत्रण में सारवान् हित प्राप्त है। संविदागत श्रमिकों के सम्बन्ध में मुख्य नियोजक की दशा में कोई प्रतिनिहित दायित्व नहीं होता है। प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न होगा कि वह व्यक्ति कौन है जिसके लिए अथवा जिसकी ओर से संविदागत श्रमिक नियोजित किया गया है। यदि ऐसा ठेकेदार जिसे स्वतन्त्र ठेकेदार कहा गया है स्वयं अपने लिए श्रमिकों की नियुक्ति करता है तो दायित्व मुख्य नियोजक के रूप में उसका दायित्व होगा न कि निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक के रूप में। निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक के अधिकार पर कारबार करने के सम्बन्ध में कोई निर्बन्धन नहीं है। वे अपने लिए या अपनी ओर से नियोजित संविदागत श्रमिकों के लिए अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हैं।

47. पूर्वगामी कारणों से अधिनियम के उपबन्ध, विशेष रूप से वे जो कि धारा 2(जी) (ए), 2(जी) (बी) तथा 2(एम) सांविधानिक दृष्टि से विधिमान्य हैं और वे निर्माता अथवा व्यापार चिह्न धारक पर कोई अयुक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाते हैं।

48. पिटीशनरों तथा अपीलार्थियों की ओर से यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 26 छुट्टी की बाबत अधिष्ठायी अधिकार देती है और अधिनियम की धारा 27 मजदूरी की संगणना करने में प्रक्रिया सम्बन्धी भाग के रूप में है। दलील यह दी गई कि अधिनियम की धारा 26 किसी स्थापन में कर्मचारियों की बाबत है और इसलिए ये धाराएं घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती है। दलीलें यह दी गई हैं कि अधिनियम की धारा 26 और 27 अयुक्तियुक्त भार डालती हैं तथा ऐसी बाध्यताएं अधिरोपित करती हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वे

संविधान के अनुच्छेद 19(1) (च) तथा (छ) का उल्लंघन करती हैं। किसी भी स्थिति में अधिनियम की धारा 26 और 27 के बारे में यह कहा गया है कि वे घर पर काम करने वाले कर्मकारों की बाबत अप्रवर्तनीय हैं और इसलिए वे वहां तक जहां तक कि वे घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू होती हैं अनुच्छेद 19(1) (च) तथा (छ) का उल्लंघन करती हैं। ये दो धाराएं छुट्टी की कालावधि के दौरान छुट्टी तथा मजदूरी की बाबत हैं। मोटे तौर पर धारा 26 किसी वयस्क कर्मचारी द्वारा पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान किए गए कार्य के प्रति 20 दिन के लिए एक दिन की दर पर मजदूरी की इजाजत देती है। युवा व्यक्ति की दशा में छुट्टी पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान प्रत्येक 15 दिन के कार्य के लिए एक दिन की दर पर अनुज्ञात की गई है। छुट्टी की गणना के बारे में उपबन्ध किये गये हैं जो प्रस्तुत मामले में तात्विक नहीं हैं।

49. अधिनियम की धारा 27 के अधीन किसी कर्मचारी को उन दिनों के लिए जिनमें उसने अपनी छुट्टी से ठीक पूर्व वाले मास के दौरान, किन्हीं अतिकाल उपार्जनों तथा बोनस को अपवर्जित करते हुए किन्तु महंगाई तथा अन्य भत्तों को शामिल करते हुए काम किया हो उसके पूर्णकालिक उपार्जन के दैनिक औसत के बराबर दर पर संदाय किया जाएगा। इसके साथ दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। प्रथम स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि "कुल पूर्णकालिक उपार्जन" पद के अन्तर्गत कर्मचारियों को खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय द्वारा उपगत होने वाले फायदे के बराबर नकदी भी अन्तर्विष्ट है क्योंकि कर्मचारी तत्समय उसके लिए हकदार है किन्तु बोनस इसके अन्तर्गत नहीं आता है। द्वितीय स्पष्टीकरण में यह कथन किया गया है कि छुट्टी की कालावधि के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकार को संदेय मजदूरी का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए अथवा घर पर काम करने वाली किसी स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के प्रयोजन के लिए "दिन" से कोई ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके दौरान ऐसे घर पर काम करने वाले कर्मकार को बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए आधी रात से शुरू होने वाले 24 घण्टों की कालावधि के दौरान नियोजित किया गया था।

50. "स्थापन" शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(एच) में की गई है और उससे कोई ऐसा स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें ऐसी प्रसीमाएं भी शामिल हैं जिनमें या जिनके किसी भाग में कोई ऐसी निर्माण प्रक्रिया, जो बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने से सम्बन्धित, हो की जाती हो और कोई औद्योगिक परिसर भी इसके अन्तर्गत आता है। अधिनियम की धारा 2(i) में "औद्योगिक परिसर" की परिभाषा की गई है और उससे कोई ऐसा स्थान या

परिसर अभिप्रेत है जो निजी निवास गृह न हो किन्तु जिसमें बीड़ी या सिगार बनाने सम्बन्धी उद्योग या निर्माण प्रक्रिया की जाती है। अधिनियम की धारा 2(एफ) में कर्मचारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीधे या किसी अभिकरण की मार्फत किसी स्थापन में नियोजित किया गया हो और इसमें कोई ऐसा श्रमिक भी आता है जिसे किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा घर में कच्ची सामग्री दी जाती है जिसे घर पर काम करने वाला कर्मकार कहा जाता है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा नियोजित किया गया हो किन्तु जो नियोजक अथवा ठेकेदार के साथ परिसर में ही काम करता है। इसलिए अधिनियम की धारा 26 में "किसी स्थापन में नियोजित" शब्दों का प्रयोग घर पर काम करने वाले कर्मकारों के प्रति निर्देश से भी किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के द्वितीय स्पष्टीकरण में छुट्टी की कालावधि के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकारों को संदेय मजदूरी के अवधारण की चर्चा की गई है।

51. यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 27 में आने वाले "कुल पूर्णकालिक उपार्जन" शब्द निम्नलिखित कारणों से घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होते हैं।

52. सर्वप्रथम घर पर काम करने वाला कर्मकार अपने कुटुम्ब के सदस्यों की मदद से किसी ऐसे मास से जिसमें वह छुट्टी लेता है पूर्ववर्ती मास में प्रचुर मात्रा में उपार्जन कर सकता है। यह नियोजक पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन बताया गया है क्योंकि घर पर काम करने वाला कर्मकार काफी समय तक भले ही मेहनत से काम न करे या बिल्कुल भी काम न करे और वह केवल उस मास में ही काम करे जिससे पूर्व वह छुट्टी लेता है। घर पर काम करने वाले कर्मकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपने उपार्जनों में वृद्धि कर सके क्योंकि नियोजक का घर पर काम करने वाले कर्मकार को दी गई कच्ची सामग्री पर तथा दैनिक व्यापारावर्त पर भी नियन्त्रण होता है। नियोजक इस स्थिति में होता है कि वह अधिक आय जुटाने के लिए किए गए कदाचारों अथवा अधिक सामग्री लेकर उसका दुरुपयोग करने को रोक सके। यह अभिनिर्धारित करना ही युक्तियुक्त है कि नियोजक किसी कर्मचारी को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वह आय में वृद्धि करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके।

53. दूसरे यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 27 में ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या विहित नहीं की गई है जिसके लिए वार्षिक छुट्टी के लिए मजदूरी का हकदार बनने के लिए उसे काम करना ही चाहिए। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 79(1) के प्रति निर्देश किया गया था जिसमें वार्षिक छुट्टी के

लिए हकदार बनने के लिए 240 दिन काम करना न्यूनतम के रूप में उपबन्धित है। अधिनियम की धारा 26 में यह उपबंध है कि प्रत्येक 20 दिन के लिए एक दिन की छुट्टी अनुज्ञात की जाती है। यदि कोई कर्मकार मेहनत से काम नहीं करता है तो वह अधिनियम में अनुध्यात रूप में छुट्टी के लिए हकदार नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों की दशा में भी प्रत्येक 20 दिन के कार्य के लिए एक दिन की छुट्टी की गणना करने का आधार अपनाया गया है। [सेण्ट्रल सिविल लीव रूल्स, 1972, नियम 26 तथा 2(एम) देखिए]। अयुक्तियुक्त होने के बजाय यह किसी सेवक के लिए इस बात का प्रोत्साहन प्रस्तुत कर सकता है कि वह अधिकतम छुट्टी अभिप्राप्त करने के लिए अधिकतम कार्य करे। अधिनियम की धारा 27 के अधीन छुट्टी के लिए हकदार होने का आधार वास्तविक कार्य के दिनों की संख्या है। इसलिए यह नियोजक पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं है।

54. तीसरे यह कहा गया है कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के समान दर पर छुट्टी की मजदूरी का संदाय अयुक्तियुक्त है। यहां अधिनियम की धारा 22 का हवाला दिया जाता है जिसमें औद्योगिक परिसर में काम की कालावधि की सूचना की चर्चा की गई है। अधिनियम की धारा 22 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती है। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में यह कहा गया है कि वह किसी भी समय और किसी भी दिन कितने ही समय तक, भले ही वे 24 घण्टे क्यों न हों, काम करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसलिए यह कहा गया है कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों के कुल पूर्णकालिक उपार्जनों की गणना करना कठिन होगा।

55. अधिनियम की धारा 27 में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे हैं "टोटल फुल टाइम अर्निंग्स" (कुल पूर्णकालिक उपार्जन)। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में इन शब्दों का एक अभिप्राय छुट्टी से पूर्व गत मास के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम के दैनिक औसतन घण्टे होगा परन्तु यह तब जब कि औसत अधिनियम की धारा 22 के अधीन सूचना में विहित दैनिक काम की कालावधि से अधिक न हो। ऐसे अर्थान्वयन से न केवल कुल पूर्णकालिक उपार्जन शब्दों का पूरा अर्थ निकलता है बल्कि इससे घर पर काम करने वाले कर्मकारों को तथा औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मकारों को उनकी छुट्टी की मजदूरी की बाबत एक ही स्थिति में रख दिया जाता है। इससे नियोजक पर ऐसा कोई अयुक्तियुक्त भार नहीं पड़ेगा जो उसे घर पर काम करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम की दृष्टि से अननुपातिक छुट्टी की मजदूरी के रूप में उठाना पड़े।

56. एक और अर्थ यह है कि इसमे उनके कुल पूर्णकालिक उपार्जन, जहां तक औद्योगिक परिसरों में तथा घर पर काम करने वाले कर्मकारों का सम्बन्ध है, उनके वास्तविक कुल उपार्जन अभिप्रेत हैं। दूसरे अर्थ के सम्बन्ध में पूर्णकालिक शब्दों का काम के घण्टों के सम्बन्ध में कोई निर्बन्धन नहीं होगा। इसका यह परिणाम हो सकता है कि किसी घर पर काम करने वाले कर्मकार को औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कर्मकारों की तुलना में अधिक घण्टे काम करने का अवसर मिल जाए और उसे अधिक आय हो सके, किन्तु काम के ऐसे अधिक घण्टों का नियंत्रण नियोजक द्वारा कच्ची सामग्री देने की बाबत तथा काम के अधिक घण्टे अनुज्ञात करने की बाबत रखा जा सकता है।

57. वास्तव में यह पाया गया है कि घर पर काम करने वाले कर्मकार एक दिन में 700 से लेकर 1,000 तक बीड़ियां या सिगार बना सकते हैं। रायल कमीशन आन लेबर इन इण्डिया 1931 की रिपोर्ट में तथा लेबर इनवैस्टीगेशन कमेटी रिपोर्ट 1944 में तथा मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त जांच न्यायालय की रिपोर्ट 1947 में यह मत व्यक्त किया गया है। घर पर काम करने वाले इन कर्मकारों के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी 1,000 बीड़ियां या सिगार लपेटने के लिए 2 रुपये से लेकर 4 रुपये 30 पैसे के बीच है। इसलिए छुट्टी की मजदूरी लेखे वित्तीय भार अधिक भार नहीं होगा जो युक्तियुक्त निर्बन्धन गठित करता हो।

58. मुम्बई उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत अपीलों में यह कहा था कि अधिनियम की धारा 26 और 27 के उपबन्ध न केवल घर पर काम करने वाले कर्मकारों की बाबत अयुक्तियुक्त निर्बन्धन गठित करते हैं बल्कि वे औद्योगिक स्थापनों में काम करने वाले कर्मचारियों की बाबत भी अयुक्तियुक्त निर्बन्धन हैं। कारण यह दिया गया है कि यदि औद्योगिक परिसरों के कर्मचारी अधिसूचित पूरे घण्टो के लिए सभी दिन काम नहीं करते हैं तो इस बात का अवधारण करना इतना ही असम्भव हो जाएगा कि उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जन क्यों होंगे और जिन दिनों में उसने पश्चात्वर्ती मास के दौरान काम किया है उनमें उसके दैनिक औसत पूर्णकालिक उपार्जन क्या होंगे। प्रस्तुत अपील में मैसूर उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह कहा था कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों को छुट्टी की कालावधि के लिए किसी नियोजक विशेष के लिए अपने द्वारा निर्मित बीड़ियों की संख्या के अनुरूप छुट्टी की कालावधि के लिए मजदूरी प्राप्त होगी। उस दशा में काम के घण्टे तात्विक नहीं हैं क्योंकि यदि वह कम घण्टे काम करता है तो उसे कम संदाय किया जाएगा। इस प्रकार वार्षिक छुट्टी की कालावधि के लिए संदेय मजदूरी की गणना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। घर पर काम करने वाले कर्मकार को

उसके वास्तविक उपार्जन के अनुकूल छुट्टी की मजदूरी वैसे ही मिलेगी जैसे कि औद्योगिक परिसर के कर्मकार को उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के अनुरूप छुट्टी की मजदूरी प्राप्त होगी।

59. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत अपील में यह कहा था कि घर पर काम करने वाले कर्मकार घरों में बीड़ियां लपेटने का काम करते हैं और उनके घर न तो स्थापन हैं और न औद्योगिक परिसर। अधिनियम की धारा 2 (एच) में यथा परिभाषित स्थापन शब्द का सम्बन्ध घर पर काम करने वाले कर्मकारों से भी है। अधिनियम की धारा 2(i) में यथा परिभाषित औद्योगिक परिसरों में से ही निजी निवास गृहों को अपवर्जित किया गया है।

60. घर पर काम करने वाले कर्मकारों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे किसी एक दिन में विनिर्दिष्ट घण्टों के लिए ही काम करें। यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 17 से 23 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं हो सकती हैं बल्कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को लागू हो सकती हैं जो औद्योगिक परिसरों में नियोजित किए गए हों अधिनियम की धारा 26 और 27 को घर पर काम करने वाले कर्मकारों को अननुयोज्य नहीं बनाती हैं। अधिनियम की धारा 26 और 27 की अभिव्यक्त भाषा घर पर काम करने वाले कर्मकारों से संबन्धित है। वे स्थापनों में काम करते हैं। छुट्टी से ठीक पूर्व वाले मास के दौरान जिन दिनों में काम किया गया हो उनके लिए कुल पूर्णकालिक उपार्जनों का दैनिक औसत घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू होता है। कारण यह है कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों को संदाय प्रतिवस्तु के हिसाब से किया जाता है अर्थात् लपेटी गई बीड़ियों की संख्या के लिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अधिनियम की धारा 26 और 27 औद्योगिक परिसरों में कर्मचारियों की बाबत निर्माताओं पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाती हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 11 दिन के लिए काम करके कोई कर्मकार वार्षिक छुट्टी की दृष्टि से मजदूरी सहित एक दिन की छुट्टी के लिए हकदार हो जाता है। अधिनियम में ऐसा नहीं कहा गया है। अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि आधा दिन या उससे अधिक की छुट्टी के अंश को एक दिन की पूरी छुट्टी समझा जाएगा। इसलिए यदि प्रत्येक 20 दिन के काम के लिए एक दिन की दर पर समस्त छुट्टी की गणना करने पर एक दिन से अधिक की भिन्न (फ्रैक्शन) के लिए छुट्टी इस प्रकार गणित की जाती है या उपार्जित की जाती है तो उसे एक दिन की छुट्टी माना जाएगा। केवल वहां जहां कि उपार्जित छुट्टी की भिन्न विद्यमान हो ऐसे 11 दिनों के काम के लिए एक दिन की छुट्टी दी जाती है। यह कहना इस बात के समान नहीं है कि सभी मामलों

में केवल 11 दिन काम करने के लिए ही एक दिन की छुट्टी का उपबन्ध होगा। अधिनियम के अधीन प्रत्येक 20 दिन के लिए एक दिन की छुट्टी के लिए हकदार होने से यह दर्शित होता है कि 20 दिन की कालावधि एक दिन की छुट्टी उपार्जित करने के लिए विहित न्यूनतम कालावधि है।

61. अधिनियम की धारा 26 और 27 की संरचना के दो पहलू हैं। प्रथम जहां तक औद्योगिक परिसर में नियोजित कर्मकारों का सम्बन्ध है वे मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के हकदार हैं परन्तु यह तब जब कि वे वर्ष में कम से कम 20 दिन तक सूचना में विनिर्दिष्ट काम के पूरे घंटों के लिए कार्य करें। इसलिए अधिनियम की धारा 26 और 27 औद्योगिक परिसर के उन कर्मकारों को लागू नहीं होगी जिन्होंने एक वर्ष में 20 दिन तक सूचना के अनुकूल काम के पूरे घंटों के लिए कार्य न किया हो। दूसरे, अधिनियम की धारा 26 और 27 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू होंगी जो कि एक वर्ष में कम से कम 20 दिन कार्य करते हैं और 20 दिन पद के अन्तर्गत दिन पर दिन की कोई भी कालावधि अभिप्रेत होगी क्योंकि काम के कोई घंटे विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

62. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों धाराएं औद्योगिक परिसरों में तथा घर पर काम करने वाले कर्मकारों, दोनों को लागू होती हैं, 'कुल पूर्णकालिक उपार्जन' पद अधिनियम की धारा 27 में आता है। धारा 17 काम के घंटों की बाबत है। धारा 22 में काम की कालावधि की सूचना की चर्चा की गई है। धारा 17 और 22 औद्योगिक परिसरों की बाबत हैं और इसलिए वे घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती हैं। औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मकारों के लिए कुल पूर्णकालिक मजदूरी को अधिनियम की धारा 22 में अनुध्यात काम की विनिर्दिष्ट कालावधि लागू होगी। जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकारों का सम्बन्ध है, छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी की गणना पूर्ववर्ती मास के दौरान, जिन दिनों उस कर्मकार ने काम किया हो, उनके लिए कुल पूर्णकालिक, उसके उपार्जनों की दैनिक औसत के प्रति निर्देश की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कर्मकार ने मास के दौरान विभिन्न दिनों में भिन्न-भिन्न राशियां उपार्जित की हों तो उन राशियों को औसत निकालने के प्रयोजन के लिए जोड़ा जाएगा। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में गणना पहले मास के दौरान कुल उपार्जन के प्रति निर्देश से होगी और कुल पूर्णकालिक उपार्जन उसका औसत होगा। अधिनियम की धारा 27 का द्वितीय स्पष्टीकरण यह दर्शित करता है कि छुट्टी की कालावधि के दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकारों को संदेय मजदूरी का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए दिन से वह कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके दौरान घर पर काम करने वाले

ऐसे कर्मकार को चौबीस घंटे की किसी कालावधि के दौरान नियोजित किया गया था। इसलिए जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकार का सम्बन्ध है, दिन से कोई भी कालावधि अभिप्रेत होगी।

63. वह रीति जिसमें औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मकारों तथा घर पर काम करने वाले कर्मकारों के लिए छुट्टी की मजदूरी की गणना की जा सकती है उसका उदाहरण बीड़ीज़ एण्ड सीगार वर्क्स (कण्डीशन्स आफ एम्पलॉयमेण्ट) मैसूर रूल्स, 1969 के प्रति निर्देश से दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 44(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ उन अभिलेखों तथा रजिस्टर के लिए नियम बना सकेगी जिसे वे अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में स्थापन में बनाए रखेंगे। स्थापन से औद्योगिक परिसर तथा कोई ऐसा निजी गृह दोनों अभिप्रेत हैं जहां कि घर पर काम करने वाले कर्मकार अपना काम करते हैं। अधिनियम के अधीन विरचित मैसूर रूल्स के नियम 33 में प्ररूप संख्या 13 में अभिलेखों तथा रजिस्टरों के बनाए रखने की चर्चा की गई है। प्ररूप संख्या 13 में स्तम्भ संख्या आठ है जो औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पूंजी के रूप में है। मैसूर रूल्स के नियम 33(2) में प्ररूप संख्या 14 में घर में काम करने वाले कर्मकारों के अभिलेखों का उल्लेख किया गया है। चार स्तम्भ हैं जिनमें तारीख, क्या काम किया जाता है, निर्मित बीड़ियों की संख्या तथा प्राप्त मजदूरी दर्शित है। प्ररूप संख्या 14 के नीचे यह दर्शित किया गया है कि मास के दौरान कुल कितने दिन काम किया गया है। इसलिए घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में मजदूरी की गणना इन अभिलेखों के आधार पर की जाती है अर्थात् कितने दिन काम किया गया है और दूसरे प्राप्त मजदूरी की रकम। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में काम के घण्टे आवश्यक नहीं हैं। औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा में स्तम्भ 8 और 9 में, अन्य बातों के साथ-साथ वर्ग, रिले, पारी संख्या तथा अवधि के कार्य दर्शित किए गए हैं। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की बाबत मजदूरी का संदाय प्रति हजार बीड़ियों की दर पर किया जाता है। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में मजदूरी सहित छुट्टी संदाय के उसी आधार पर दी जाती है। लॉग-बुक एक प्रकार की गारण्टी तथा प्रतिभूति है जो नियोजन तथा कर्मकारों दोनों के लिए कार्य की क्वालिटी तथा सापेक्ष संदाय की बाबत दी जाती है।

64. यह दर्शित करने के लिए कि धारा 26 और 27 घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती हैं, इस न्यायालय के चार पूर्ववर्ती विनिश्चयों

1974(1) eILR(PAT) SC 1

के प्रति निर्देश किया गया था। ये विनिश्चय है— **श्री चिन्तामन राव और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] **श्री बिरधीचन्द शर्मा बनाम फर्स्ट सिविल जज, नागपुर और अन्य**[2] **शंकर बालाजी वाजे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3], **और मैसर्स भिकुसे यामला क्षत्रिय (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य**[4]। इन चार विनिश्चयों को कारखाना अधिनियम के प्रति निर्देश से विनिश्चित किया गया था। कारखाना अधिनियम की धारा 79 और 80 पर वहां विचार किया गया था। ये दो धाराएं अधिनियम की धारा 26 और 27 के समरूप भाषा में हैं। फर्क केवल इतना है कि अधिनियम की धारा 26 में वार्षिक छूट्टी का हकदार होने के लिए कलेन्डर वर्ष में 240 दिन के लिए काम करने की अपेक्षा नहीं की गई है जब कि कारखाना अधिनियम में ऐसा नहीं है और इसके अलावा यह भी कि अधिनियम की धारा 26 में कारखाना अधिनियम में प्रयुक्त कर्मकार शब्द के स्थान पर कर्मचारी शब्द का प्रयोग किया गया है और कारखाना शब्द के स्थान पर स्थापन शब्द का प्रयोग किया गया है।

65. **चिन्तामन राव वाले मामले**[1] में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि नियोजन के तीन तत्व तथा अवधारणाएं इस प्रकार हैं प्रथम यह कि एक नियोजक होना चाहिए, दूसरे कोई कर्मचारी होना चाहिए और तीसरे नियोजन की संविदा होना चाहिए। चिन्तामन राव वाले मामले में कुछ स्वतन्त्र ठेकेदारों ने जो सट्टेदार के नाम से जाने जाते थे एक बीड़ी कारखाने के प्रबन्धक को बीड़ियों का प्रदाय किया था। सट्टेदारों ने तो अपने कारखानों में बीड़ियों का निर्माण किया था या फिर उन्होंने अन्य पक्षकारों को यह काम सौंपा हुआ था। कारखाना निरीक्षक ने बीड़ी कारखाने में कुछ सट्टेदारों को देखा जो कि उनके द्वारा निर्मित बीड़ियों का परिदान करने के लिए वहां आये थे। कारखाने के स्वामी पर वयस्क कर्मकारों का रजिस्टर बनाए रखने में असफल रहने के लिए कारखाना अधिनियम की धारा 62 और 63 के उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सट्टेदार और उनके कुल्ली कारखाना अधिनियम की धारा 2(1) की परिभाषा के अन्तर्गत कर्मकार नहीं थे। विनिश्चित-आधार यह था कि सट्टेदार कारखाने के प्रबन्धतन्त्र के नियन्त्रण के अधीन नहीं थे और वे जहां कहीं जाते वहीं बीड़ियों का निर्माण कर सकते थे। इसके अलावा कुल्लियों को प्रबन्धतन्त्र द्वारा सट्टेदारों की मार्फत नियोजित नहीं किया गया था।

---

[1] (1958) एस० सी० आर० 1340.

[2] (1961) 3 एस० सी० आर० 161.

[3] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

[4] (1964) 1 एस० सी० आर० 860.

66. **बिरधीचन्द शर्मा वाले मामले**[1] में अपीलार्थी ने कारखाने में कर्मकारों को नियोजित किया था। कर्मकार को इस बात की बिल्कुल स्वतन्त्रता नहीं थी कि वे अपने घर पर काम कर सकें। संदाय प्रतिवस्तु के हिसाब से, किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार किया जाता था। कर्मकारों ने पन्द्रह दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दिया। अपीलार्थियों ने अपनी मजदूरी का संदाय नहीं किया। अपीलार्थी ने यह दलील दी है कि कर्मकार कारखाना अधिनियम के अर्थान्तर्गत कर्मकार नहीं हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मकारों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे स्वतन्त्र ठेकेदार हैं किन्तु वे कारखाना अधिनियम की धारा 2 (1) के अर्थान्तर्गत कर्मकार थे। कर्मकारों तथा स्वतन्त्र ठेकेदारों के बीच भेद करने की कोशिश की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि कर्मकार जब कभी चाहें आ या जा सकते थे किन्तु वे कारखाना अधिनियम के अर्थान्तर्गत प्रति वस्तु के हिसाब से काम करने वाले कर्मकार थे। यदि कर्मकार दोपहर से पूर्व कारखाने में नहीं पहुंचता था तो उसे कोई काम नहीं दिया जाता था। उसे कारखाने में ही काम करना होता था। वह कहीं और काम नहीं कर सकता था। यदि वह आठ दिन तक गैर-हाजिर रहता तो उसे हटा दिया जाता। उसकी हाजिरी लगाई जाती थी। यदि उसका काम मानक के अनुसार नहीं पाया जाता था तो जो वस्तुएं वह तैयार करता है उन्हें रद्द कर दिया जाता। कारखाना अधिनियम की धारा 79 के अधीन उपबन्धित छुट्टी के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी कर्मकार ने न्यूनतम कार्य दिवसों के लिए काम किया हो तो ऐसी छुट्टी अधिकार के रूप में मानी जा सकती थी।

67. **शंकर बालाजी वाजे वाले मामले**[2] में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो श्रमिक कारखाने में बीड़ियां लपेटते थे वे कारखाना अधिनियम के अर्थान्तर्गत कर्मकार नहीं थे। **बिरधीचन्द शर्मा वाले मामले**[1] से तथ्यों के आधार पर प्रभेद बतलाया गया था। अल्पमत यह था कि शंकर बालाजी वाजे वाले मामले में कर्मकार उसी प्रकार के कर्मकार थे जैसे कि बिरधी चन्द शर्मा वाले मामले में थे। शंकर बालाजी वाजे वाले मामले में बहुमत का निर्णय यह था कि सेवा की संविदा विद्यमान थी। कर्मकार इस बात के लिए आबद्ध नहीं था कि वह किन्हीं नियत घण्टों के लिए कारखाने में हाजिर रहे। वह जब कभी चाहे अपीलार्थी को सूचित किए बिना दस दिन के लिए काम से गैर-हाजिर रह सकता था। यदि वह दस दिन से अधिक समय के लिए काम से गैर-हाजिर रहना

---

[1] (1961) 3 एस० सी० आर० 161.

[2] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

चाहता था तो उसे इजाजत लेनी पड़ती थी। कर्मकार इस बात के लिए आबद्ध नहीं था कि वह कारखाने में ही बीड़ियां लपेटे। वह अपीलार्थी की इजाजत से घर पर भी ऐसा कर सकता था। वास्तविक पर्यवेक्षण नहीं किया जाता था। ऐसी बीड़ियां जो मानक के अनुसार नहीं होती थीं उन्हें रद्द कर दिया जा सकता था। कर्मकारों को नियत दरों पर मजदूरी का संदाय किया जाता था।

68. भिकुसे यामला वाले मामले[1] में इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अधीन अधिसूचना जिसके अनुसार बीड़ी लपेटने वालों को कारखाना अधिनियम में कर्मकारों के लिए उपबन्धित फायदे दिए गये थे, विधिमान्य थी। बीड़ी निर्माण स्थापनों के स्वामियों द्वारा बीड़ी लपेटने वालों को फायदा दिया जाने से इन्कार कर दिया गया था। इसलिए राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अधीन अधिसूचना जारी की। कारखाना अधिनियम की धारा 85 में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध किसी ऐसे स्थान को लागू होंगे जिनमें कोई निर्माण प्रक्रिया की जाती है, भले ही उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या कारखाने की परिभाषा में विनिर्दिष्ट संख्या से कम क्यों न हो, अथवा जहां कि उसमें काम करने वाले व्यक्ति स्वामी द्वारा नियोजित न किए गए हों बल्कि वे ऐसे स्वामी की इजाजत से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहे हों। राज्य सरकार ने यह विनिश्चत किया कि कुछ स्थानों को कारखाने समझा जाएगा और वहां काम करने वाले व्यक्तियों को कर्मकार समझा जाएगा। इस न्यायालय ने यह कहा कि कारखाना अधिनियम के फायदों के कारखाना अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत यथार्थ रूप से न आने वाली परिसरों तथा कर्मकारों को विस्तार का आशय वही प्रयोजन सिद्ध करना है। इस युक्ति के आधार पर समझे जाने वाले कर्मकारों के फायदे के लिए उपबन्धों के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वे संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ) के अर्थान्तिर्गत युक्तियुक्त हैं।

69. पिटीशनरों और अपीलार्थियों के काउन्सेल ने यह दर्शित करने के लिए कि घर पर काम करने वाले कर्मकार इस आधार पर छुट्टी के लिए हकदार नहीं होंगे कि अधिनियम की धारा 26 और 27 घर पर काम करने वाले कर्मकारों के बारे में लागू नहीं की जा सकती है और वे अयुक्तियुक्त निर्बन्धन गठित करती है, चार विनिश्चयों का अवलंब लिया था। घर पर काम करने वाले कर्मकारों पर यह दायित्व अधिरोपित करके मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी जैसे फायदे के बारे में

[1] (1964) 1 एस० सी० आर० 860.

यह नहीं कहा जा सकता है कि वे कारबार स्वामी के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। अधिनियम में कर्मचारी शब्द के अन्तर्गत घर पर काम करने वाले कर्मकार भी आते हैं। स्थापन शब्द किसी प्राइवेट स्थापन को लागू होता है। अधिनियम की धारा 27 का द्वितीय स्पष्टीकरण यह दर्शित करता है कि वह धारा घर पर काम करने वाले कर्मकार की बाबत है। अधिनियम की धारा 26 और 27 को एक साथ पढ़ना होगा। **विरधीचन्द शर्मा वाले मामले**[1] में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि किसी कर्मकार ने अनेक दिन कार्य किया हो वह छुट्टी का हकदार होगा। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था कि **विरधीचंद शर्मा वाले मामले**[1] में कारखाना अधिनियम की धारा 79 के अधीन की गई वार्षिक छुट्टी के लिए किसी कर्मकार को हकदार बनाने के लिए कार्य दिवस शब्द से क्या अभिप्रेत है।

70. प्रस्तुत मामले में अधिनियम में यह कल्पना की गई है कि घर पर काम करने वाले कर्मकार किसी भी समय और एक दिन में कितने ही घंटों तक काम करने के लिए स्वतन्त्र है। अधिनियम के बारे में यह नहीं कहा जा सकता हैं कि वह घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होता है। अधिनियम में दो प्रकार के कर्मकारों के बीच प्रभेद किया गया हैं और अधिनियम को दोनों प्रकार के कर्मकारों को लागू किया गया है। ऐसी औद्योगिक परिसरों में कर्मकारों की बाबत भी जहां कि कार्य की कालावधि अधिसूचित नहीं की जाती है, नियोजक के लिए यह लाजमी नहीं हैं कि वह किसी कर्मचारी को समस्त अधिसूचित कालावधि के लिए औद्योगिक परिसर में काम करने के लिए अनुज्ञात करें। कर्मचारी से यह मांग की जा सकती है कि वह कार्य की समस्त अधिसूचित कालावधि के लिए जो कि एक दिन में 9 घंटे या उस सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होगी जैसा कि अधिनियम की धारा 17 में उपबन्ध किया गया है। **शंकर बालाजी वाले मामले**[2] में बहुमत का निर्णय यह था कि कुल पूर्णकालिक उपार्जन पद से ऐसे उपार्जन अभिप्रेत हैं जो किसी विशेष दिन को पूरा दिन काम करके उपार्जित की जाती है और पूर्णकालिक विशिष्ट दिन के लिए कारखाने में प्रदर्शित सूचना में दी गई कालावधि के अनुसार होगी। उस आधार पर शंकर काला बालाजी व.ज़ वाले मामले में कर्मकारों के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे छुट्टी की कालावधि के लिए मजदूरी के हकदार नहीं थी क्योंकि ऐसी मजदूरी की गणना उस स्थिति में नहीं की जा सकती थी जब काम के निबंधन ऐसे हों कि वे इच्छानुसार आ या जा सकें और कर्मकारों की बाबत काम की

[1] (1961) 3 एस० सी० आर० 161.

[1] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

किसी कालावधि का वर्णन न किया गया हो। शंकर बाला जी वाजे वाले मामले[1] में बहुमत का निर्णय अधिनियम की धारा 26 और 27 को लागू नहीं होगा क्योंकि घर पर काम करने वाला कर्मकार छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी के लिए हकदार है और ऐसी मजदूरी घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि क्या कोई घर पर काम करने वाले विशेष कर्मकार समस्त अधिसूचित कालावधि के लिए काम करता है। घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में मजदूरी की गणना का आधार उन दिनों के लिए जिनमें उसने अपनी छुट्टी से ठीक पूर्व वाले मास के दौरान काम किया हो कुल पूर्णकालिक उसके उपार्जनों की दैनिक औसत होती है। यदि कोई घर पर काम करने वाला कर्मकार 1,000 बीड़ियां लपेट कर पूर्णकालिक रूप में कार्य करता है तो उसे मजदूरी की तत्समान रकम मिलेगी। औद्योगिक परिसरों में कारखाने में काम करने वाले कर्मकार तथा स्थापनों में घर पर काम करने वाले कर्मकार उन पर उचित नियन्त्रण द्वारा अथवा घर पर काम करने वाले कर्मकारों को कच्ची सामग्री के प्रदाय के विनियमान द्वारा समान रूप से रखे गए हैं। जैसे कि किसी औद्योगिक परिसर में कर्मकार के कुल पूर्ण कालिक उपार्जनों की गणना प्रतिदिन काम के घंटों के प्रति निर्देश से की जाती है उसी प्रकार घर पर काम करने वाले कर्मकार के पूर्णकालिक उपार्जनों की गणना प्रति दिन के लिए उपार्जनों द्वारा की जाती है जिन्हें बीड़ियों की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन के लिए नियन्त्रण में रखा जाता है जिन्हें कोई कर्मकार स्थापन में अपने काम के घंटों के भीतर तैयार कर सकता है। जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकारों का सम्बन्ध है, मजदूरी का संदाय प्रतिवस्तु के आधार पर किया जाता है और उनकी दशा में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि काम के विनिर्दिष्ट घंटे कितने हैं क्योंकि यदि वे उतने घंटे काम नहीं करते हैं जितने घंटे किसी परिसर में कर्मकार करता है तो उन्हें कम मजदूरी दी जाएगी। धारा 26 और 27 के उपबंध घर पर काम करने वाले कर्मकारों को तथा औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कर्मकारों को लागू होते हैं और उन्हें नियोजकों पर भी किन्हीं अयुक्तियुक्त निर्बन्धनों के बिना लागू किया जा सकता है।

71. यह दलील दी गई है कि अधिनियम की धारा 31 जिसमें पदच्युति की सूचना के बदले में एक मास की सूचना के लिए उपबंध किया गया है अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। आधार यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम में मजदूरी शब्द की परिभाषा नहीं की गई है और इसलिए मजदूरी की गणना करना सम्भव नहीं है। अधिनियम की धारा 27 छुट्टी की कालावधि के दौरान मजदूरी की गणना के लिए दर निहित करती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की

[1] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

धारा 39(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर से सम्बन्धित विषयों को लागू होती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (आर० आर०) में मजदूरी की परिभाषा दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में मजदूरी की परिभाषा अधिनियम द्वारा अनुध्यात औद्योगिक परिसरों में कर्मकारों को लागू होती है। घर पर काम करने वाले कर्मकारों को औद्योगिक परिसरों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे निजी निवास-गृहों में काम करते हैं जो स्थापन होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में मजदूरी परिभाषा उन कर्मकारों को लागू होगी जिन्हें मासिक रूप से मजदूरी दी जाती हैं। अधिनियम की धारा 20(1) राज्य सरकार को इस योग्य बनाती है कि वह यह निदेश दे सके कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के उपबंध ऐसे स्थापनों के कर्मचारियों को लागू होंगे जिन्हें अधिनियम लागू होता है। मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 2(6) में मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसके अन्तर्गत अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कोई ऐसा पारिश्रमिक भी आता है जिसके लिए कोई नियोजित व्यक्ति किसी छुट्टी की कालावधि की बाबत हकदार है। मजदूरी संदाय अधिनियम में मजदूरी की जो परिभाषा दी गई है अर्थात् "मजदूरी के अन्तर्गत छुट्टी के लिए मजदूरी भी शामिल है" उससे कुछ मदद मिल सकती है। इसलिए अधिनियम की धारा 31 में मजदूरी शब्द से ऐसी मजदूरी अभिप्रेत होगी जिसकी गणना अधिनियम की धारा 27 के अधीन की जाती है। इसकी गणना औद्योगिक परिसरों के कर्मकारों तथा स्थापनों में घर पर काम करने वाले कर्मकारों की भी दशा में की जा सकती है। इसलिए अधिनियम की धारा 31 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है।

72. पिटीशनरों और अपीलार्थियों ने आगे यह दलील दी कि महाराष्ट्र रूल्स का नियम 37 तथा मैसूर रूल्स का नियम 29 जो अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिश्चित किया गया था बीड़ी तथा सिगार निर्माताओं पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाते हैं। महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी कर्मकार या ठेकेदार किसी घर पर काम करने वाले सहित कर्मकारों से प्राप्त बीड़ी या सिगार या दोनों के 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियों या सिगार या दोनों को छटनी द्वारा या अन्यथा निम्नस्तर की बीड़ियों या सिगारों के रूप में साधारण तौर पर रद्द नहीं करेगा। महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37(2) में आगे यह उपबन्ध किया गया है कि जहां कोई बीड़ी या सिगार निम्नस्तर के रूप में छटनी द्वारा या अन्यथा कर्मकार को विमर्शित उपेक्षा के आधार पर किसी भी भिन्न आधार पर रद्द किया जाता है वहां कर्मकार को इस प्रकार रद्द की गई प्रत्येक वस्तु के लिए उस मजदूरी से आधी मजदूरी की दर पर संदाय किया जाएगा जिस

1974(1) eILR(PAT) SC 1

पर कि इस प्रकार रद्द न की गई बीड़ी या सिगार के लिए उसे मजदूरी का संदाय किया जाता है।

73. मैसूर रूल्स, 29 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी नियोजक अथवा ठेकेदार साधारण तौर पर कर्मकार से, जिसके अन्तर्गत घर पर काम करने वाले कर्मकार भी होगा, प्रत्येक बीड़ी या सिगार या दोनों के 2 प्रतिशत से अधिक बीड़ी या सिगार को निम्नस्तर के रूप में या छटनी द्वारा या अन्यथा रद्द नहीं करेगा। यह भी उपबन्ध किया गया है कि नियोजक अथवा ठेकेदार अभिलिखित किए जाने वाले तथा कर्मकार को लिखित रूप में सूचित किए जाने वाले कारणों से 5 प्रतिशत ऐसे रद्दकरण कर सकेगा।

74. केरल रूल्स का नियम 29 मैसूर रूल्स के नियम 29 के समान है, सिवाय इस बात के कि उसमें 2 प्रतिशत की बजाय 2.5 प्रतिशत की सीमा रद्दकरण के लिए रखी गई है।

75. केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केरल रूल्स का नियम 29 मनमानी प्रतिशतता नियत करता है और वह जनसाधारण के हित में नहीं है। नियम 29 के परन्तुक द्वारा 5 प्रतिशत के अधिरोपण के बारे में केरल उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि वह मनमाना है। यह कहा गया था कि रद्द किए जाने की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से अधिक हो सकती है किन्तु 5 प्रतिशत की नियत सीमा का यह दुष्परिणाम होगा कि बीड़ियों की क्वालिटी ऐसी दशा में गिर जाएगी जिसमें कि कर्मकारों को यह आश्वासन मिल जाता है कि 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ी रद्द नहीं की जाएंगी।

76. मैसूर उच्च न्यायालय ने यह दलील नामंजूर कर दी कि मैसूर रूल्स का नियम 29 अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाता है। उस उच्च न्यायालय ने जो कारण दिया था वह इस प्रकार था : यह दलील कि 5 प्रतिशत से अधिक न्यूनतर की बीड़ी या सिगार नियोजक द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते, अनुचित है। आम आधार पर 2 प्रतिशत तक का रद्दकरण अनुज्ञात किया गया है। 5 प्रतिशत तक का रद्दकरण केवल तब अनुज्ञात किया जा सकता है जबकि उसके लिए कारण अभिलिखित किए गए हों। किन्तु यदि नियोजक को इस बात का पता चलता है कि 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियां न्यूनस्तर की हैं तो मामला निरीक्षक को निर्देशित किया जाएगा। इसलिए नियम 29 नियोजक को इस बात के लिए मजबूर नहीं करता कि जब 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ी रद्द की जाती हैं तो न्यूनस्तर की बीड़ियों को स्वीकार कर लें।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

77. मुम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 को कायम रखा था जोकि 5 प्रतिशत से अधिक के रद्दकरण को अनुज्ञात करता है। 5 प्रतिशत के रद्दकरण को मुम्बई उच्च न्यायालय ने उच्चतर सीमा माना है। मुम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार इसका यह अभिप्राय नहीं है कि रद्दकरण को 5 प्रतिशत ही होना चाहिए। यह कहा गया है कि ठेकेदार अपने अनुभव के आधार पर यह देखेंगे कि 5 प्रतिशत का रद्दकरण युक्तियुक्त है। अनुभव से यह पता चलता है कि 5 प्रतिशत की उच्चतर सीमा काफी युक्तियुक्त है। इस बात की कल्पना करना कठिन है कि कोई सीमा नियत ही नहीं की जानी चाहिए। मुम्बई उच्च न्यायालय ने आगे यह भी निष्कर्ष निकाला कि निम्न स्तर की बीड़ियों के लिए भी मांग है हालांकि यह मांग कम दर पर है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि तम्बाकू की छुटपुट चोरी से इस उद्योग का एक माना हुआ दोष है। इस दोष के बावजूद उद्योग में रद्दकरण शायद ही कभी 3 प्रतिशत से अधिक होता है। मुम्बई उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 5 प्रतिशत का रद्दकरण युक्तियुक्त है।

78. इसलिए बीड़ियों के रद्द किए जाने के लिए 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा उद्योग में अनुभव के आधार पर लगाई गई है और दूसरे नियोजक समुचित प्राधिकारी के समक्ष विवाद खड़ा करके 5 प्रतिशत से अधिक को भी रद्द कर सकता है।

79. पिटीशनरों तथा अपीलार्थियों की ओर से यह कहा गया था कि अधीमानक (सब-स्टैण्डर्ड) शब्द से स्वयं रद्द किए जाने के लिए कोई मार्ग-दर्शन प्राप्त नहीं होता है और वह मनमानी शक्ति प्रदत्त करता है। अधिनियम की धारा 39(1) में यह उपबंध किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंध उन मामलों को लागू होंगे जो प्रत्येक औद्योगिक परिसर की बाबत उत्पन्न होते हैं और अधिनियम की धारा 39(2)(सी) में यह उपबंध किया गया है कि उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नियोजक द्वारा बीड़ी या सिगार या दोनों के लिए जो रद्द की गई हों, मजदूरी संदाय से सम्बन्धित किसी नियोजक तथा कर्मचारी के बीच विवाद का निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा तन्निमित्त विनिर्दिष्ट करे। अधिनियम की धारा 44(2) (आर) में उस रीति की बाबत नियम बनाने के लिए उपबंध किया गया है जिसमें कि बीड़ी या सिगार या दोनों के छांटने या उनके रद्द किए जाने तथा रद्द की गई बीड़ी या सिगार या दोनों का व्ययन किया जाएगा। मैसूर रूल्स के नियम 27 में यह उपबंध किया गया है कि बीड़ी या सिगार या दोनों के नियोजक द्वारा

रद्द किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न को लिखित रूप में नियोजक अथवा कर्मचारी अथवा कर्मचारियों द्वारा उस क्षेत्र के निरीक्षक को निर्दिष्ट किए जा सकते हैं जो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे और पक्षकारों को अपने-अपने मामले के बारे में अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् वह विवाद का विनिश्चय करेगा और प्ररूप एक्स में कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा। प्ररूप एक्स आदेश के विनिश्चय के अभिलेख की बाबत है। विभिन्न विशिष्टयां अन्य विशिष्टियों के साथ ये हैं—विवाद का सार, लिए गए साक्ष्य का सार और उसके लिए निष्कर्ष तथा कारणों का कथन। उसके साथ ही निरीक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध मुख्य निरीक्षक को अपील का अधिकार भी विद्यमान है।

80. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि रद्द किए जाने और 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के नियत किए जाने के बारे में नियम युक्तियुक्त तथा उचित हैं। सर्वप्रथम उद्योग में अनुभव जैसा कि वह न्यूनतम मजदूरी समिति की रिपोर्ट में अभिलिखित है, 5 प्रतिशत की ऐसी सीमा का सामान्य तथा नियमित कह कर समर्थन करता है। दूसरी ओर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के बावजूद नियोजक को इस बात की इजाजत है कि वह 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियां रद्द कर सके। इसके लिए नियमों के अधीन कायम किए गए समुचित प्राधिकारी के समक्ष विवाद उठाया जाता है। अधिनियम की धारा 44(2) (आर) तथा (एस) के अधीन राज्य सरकार इस बात के लिए सशक्त है कि वह उस रीति की बाबत जिसमें कि छांटने अथवा बीड़ी या सिगार या दोनों को रद्द करने और रद्द की गई बीड़ी या सिगार या दोनों का व्ययन करने के बारे में नियम बना सके और किसी कर्मचारी द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों के रद्द किए जाने की अधिकतम सीमा नियत कर सके। अधिनियम की धारा 39(2) में यह उपबंध किया गया है कि कर्मचारी द्वारा निर्मित बीड़ी या सिगार या दोनों के नियोजक द्वारा रद्द किए जाने के सम्बन्ध में और नियोजक द्वारा रद्द की गई बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में नियोजक तथा कर्मचारी के बीच विवाद का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में व्यवस्थापन किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा तन्निमित्त विनिर्दिष्ट करे। मैसूर रूल्स के नियम 27 तथा केरल रूल्स के नियम 27 में यह उपबन्ध किया गया है कि नियोजक द्वारा रद्द की गई बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी के संदाय के लिए या बीड़ी या सिगार के नियोजक द्वारा रद्द किए जाने के सम्बन्ध में नियोजक तथा कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच विवाद नियोजक या कर्मचारी द्वारा उस क्षेत्र के निरीक्षक को लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। निरीक्षक पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद्यक का

विनिश्चय करेगा। व्यथित पक्षकार को मुख्य निरीक्षक को अपील करने का अधिकार है।

81. मैसूर रूल्स के नियम संख्या 29 के अधीन 2 प्रतिशत से अधिक से लेकर 5 प्रतिशत तक बीड़ी/सिगार लिखित रूप में दिए गए कारणों से ही रद्द किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 में कारण बतलाने की बाध्यता के बिना 5 प्रतिशत तक के रद्द किए जाने के लिए उपबन्ध किया गया है। पिटीशनरों द्वारा यह कहा गया था कि मैसूर तथा केरल रूल्स रद्द किए जाने के लिए परिसीमा निश्चित करते हैं, किन्तु महाराष्ट्र नियम ऐसा नहीं करते। दोनों ही नियम रद्द किए जाने की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत नियत करते हैं। मैसूर तथा केरल रूल्स में महाराष्ट्र रूल्स के नियम संख्या 37(2) के समान कोई उपबन्ध नहीं है। इसमें भी अधिमानक कह कर रद्द की गई बीड़ियों के लिए आधी दर पर संदाय करने की उस दशा में अपेक्षा की गई होगी जिसमें कि कर्मचारियों की विमर्शित उपेक्षा के कारण ऐसा न हुआ हो। इसलिए यह कहा गया था कि या तो महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 के अधीन 5 प्रतिशत तक रद्दकरण या फिर 5 प्रतिशत से अधिक रद्दकरण की दशा में नियोजक इस बाध्यता के अधीन दावा कि वह रद्द की गई बीड़ियों के लिए आधी दर पर संदाय करे यदि ऐसा रद्दकरण कर्मचारी की विमर्शित उपेक्षा के कारण न हुआ हो।

82. इसलिए हमें इस बात का अभिनिश्चय करना होगा कि नियम नियोजक को उस दशा में भी 5 प्रतिशत से अधिक बीड़ियां रद्द करने के लिए प्रतिषिद्ध करते हैं जिसमें कि वे मानक से न्यून पाई जाती हैं और दूसरे क्या रद्द की गई बीड़ियों के लिए आधी दर पर मजदूरी का संदाय करने की अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। नियमों में 5 प्रतिशत तक रद्द किए जाने के लिए उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमों में ऐसे रद्दकरण की बाबत "मामूली तौर पर" (आर्डिनेरिली) शब्द का प्रयोग किया गया है। 5 प्रतिशत से अधिक के रद्दकरण की दशा में मैसूर रूल्स के नियम 27 तथा महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 में ऐसे रद्दकरण की बाबत विवाद खड़ा करने के लिए उपबन्ध किया गया है। जिस वाद की कल्पना की गई है वह बीड़ियों के रद्द किए जाने और रद्द की गई बीड़ियों के लिए मजदूरी के संदाय के सम्बन्ध में है। 'रद्दकरण' तथा "रद्दकरण की गई" शब्दों से यह संकेत मिलता है कि विवाद बीड़ियों के रद्द किए जाने के कारण उठ गया होता है। पिटीशनरों की ओर से दी गई यह दलील कि इससे पूर्व की कोई विवाद लाया जाए, कोई रद्दकरण सम्भव नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। विवाद रद्द किए जाने के कारण पैदा होता है। इसलिए

1974(1) eILR(PAT) SC 1

मैसूर रूल्स के नियम 27 तथा 29 तथा केरल रूल्स के नियम संख्या 27 रद्द किए जाने के अधिकार पर कोई अयुक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाते हैं।

83. महाराष्ट्र रूल्स का नियम संख्या 27 भी 5 प्रतिशत से अधिक के रद्द किए जाने को तथा विवाद उठाए जाने को अनुज्ञात करता है। पिटीशनरों की ओर से दी गई यह दलील सही नहीं है कि महाराष्ट्र रूल्स जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि कर्मकार की विमर्शित उपेक्षा के आधार को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर रद्द की गई बीड़ियों के लिए आधी दर पर संदाय अयुक्तियुक्त निर्बन्धन है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने उचित ही यह अभिनिर्धारित किया था कि उद्योग में अनुभव यह है कि मानक से निम्नस्तर की बीड़ियों के लिए मांग भी विद्यमान है। यह अभिनिर्धारित करना भी युक्तियुक्त है कि घर पर काम करने वाले कर्मकार इस बात में हितबद्ध होंगे कि बीड़ियां मानक से निम्न न हों क्योंकि उस प्रक्रिया में घर पर काम करने वाले व्यक्ति कामोपार्जन करते हैं। महाराष्ट्र रूल्स का आशय अनपढ़ कर्मकार के शोषण को दूर करना है जो अधिकतर स्त्रियां होती हैं। इसलिए रद्द किए जाने से सम्बन्धित नियम युक्तियुक्त है। नियोजकों को इस बात की भी स्वतन्त्रता है कि वे 5 प्रतिशत से अधिक रद्द करने के लिए विवाद उठा सकें।

84. पिटीशनरों तथा अपीलार्थियों की ओर से अधिनियम की धारा 37(3) को अव्यवहार्य कह कर चुनौती दी गई है। उक्त उपधारा में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 प्रत्येक स्थापन को उसी प्रकार लागू होगा मानों कि वह स्थापन ऐसा स्थापन है जिसे उक्त 1961 का अधिनियम उक्त 1961 वाले अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 37(3) के परन्तुक में यह कहा गया है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जहां तक घर पर काम करने वाले कर्मकार को लागू होता है, कतिपय उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा। मद्रास उच्च-न्यायालय ने इस दलील को कायम रखा और यह कहा कि चूंकि बीड़ी उद्योग में किसी कर्मकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी दिन किन्हीं विहित काम के घण्टों के लिए नियमित रूप से कार्य करे अथवा दिन प्रतिदिन किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कार्य करे, इसलिए मामले की प्रकृति से ही उक्त 1961 वाले अधिनियम के उपबन्ध घर पर काम करने वाले कर्मकारों की बाबत अव्यवहार्य हैं। यहां यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 37(3) की युक्तियुक्तता को चुनौती नहीं दी गई है। दलील यह दी गई थी कि घर पर काम करने वाले व्यक्तियों का ठौर-ठिकाने मालूम करना कठिन है। इस न्यायालय में उस दलील पर जोर नहीं दिया गया था। उक्त 1961 वाले

म के उपबन्ध, जो कि उसकी धारा 4 और 5 में हैं स्त्रियों के या उनके द्वारा नियोजन के प्रतिषेध की बाबत ही जिन्हें कतिपय कालावधि के दौरान काम करने से प्रतिषिद्ध रखा गया है और प्रसूति प्रसुविधा के संदाय का अधिकार दिया गया है। 1961 वाले अधिनियम की धारा 4 में कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है क्योंकि उसमें उसके प्रजनन से ठीक पश्चात् 6 मास के दौरान किसी स्थापन में किसी स्त्री द्वारा काम करने के प्रतिषेध की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 4 में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी गर्भवती स्त्री द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह कोई श्रमयुक्त कार्य अथवा ऐसा कार्य करे जिनमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़े और ऐसी कालावधि उसके प्रत्याशित प्रजनन की तारीख से पूर्व 6 सप्ताह की कालावधि से ठीक पूर्व एक मास की कालावधि है। 1961 के अधिनियम की धारा 5(2) में यह उपबंध कया गया है कि कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा के लिए तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने किसी स्थापन में उसके प्रत्याशित प्रजनन की तारीख से ठीक पूर्व 12 मास में 160 दिन से अन्यून की कालावधि के लिए कार्य न किया गया हो। किसी स्थापन में नियोजित किसी स्त्री की प्रसूति प्रसुविधाओं के सम्बन्ध में इस धारा को लागू करने की बाबत कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है।

85. इन कारणों से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संसद को इस अधिनियम को बनाने के लिए विधायी सक्षमता प्राप्त थी और अधिनियम के उपबन्ध विधिमान्य हैं और वे संविधान के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करते हैं।

86. रिट पिटीशनों को खारिज किया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय, मुम्बई उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तथा केरल उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त किया जाता है और अपीलें मंजूर की जाती हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील खारिज की जाती है। पक्षकार अपने खर्चे का संदाय स्वयं करेंगे और उसे स्वयं उठाएंगे।

न्यायाधिपति अलगिरिस्वामी—

87. मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुनाए गए निर्णय से सारवान रूप से सहमत हूं, किन्तु मेरे विचार में कुछ ऐसे जटिल विषयों के कारण जो अन्यथा पैदा हो सकते हैं, कुछ बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है। सम्बद्ध अधिनियम सरकार के मौलिक आशयों तथा प्रस्थापित अभ्युपाय में किए गए उपान्तरणों जो कि अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत घर पर काम करने वाले व्यक्तियों को लाने के लिए आशयित रियायतों के परिणामस्वरूप करने पड़े थे, का परिणाम है।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

88. मूल आशय यह था कि वैयक्तिक गृहों में बीड़ी लपेटने के काम की इजाजत न दी जाए क्योंकि उसमें हजारों दूरस्थ घरों में श्रमिकों का कार्य अन्तर्वलित होगा और इसमें उन्हें अध्युपाय के उपबन्धों को लागू करने की कठिनाई पैदा होगी। परिणाम स्वरूप एक ऐसा अधिनियम बनाया गया है, जिसके द्वारा उसके वास्तविक कार्यकरण में बहुत सी कठिनाईयां पैदा हो जानी संभव हैं। अध्युपाय को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रयोजन प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को इसके अन्तर्गत लाना है, जो कि नियोजक के रूप में लाया जा सकता है। किन्तु अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उनका परिणाम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नियोजक, नियोजक तथा ठेकेदार बन जाएगा और प्रत्येक श्रमिक संविदा के अधीन श्रमिक का रूप धारण कर लेगा। 'ठेकेदार' शब्द की परिभाषा को ही ले लें। जहां तक उसमें यह कहा गया है कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्माण प्रक्रिया के संबंध में कार्य का निष्पादन करके एक निश्चित परिणाम को उत्पन्न करता है, वहां तक वह आक्षेपणीय नहीं है और उसमें ऐसे ठेकेदार के प्रति निर्देश किया गया है जैसा कि साधारण तौर पर समझा जाता है किन्तु जब उसमें "through contract labour" (संविदा के अधीन श्रमिक की मार्फत) शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो इससे जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। "संविदा के अधीन श्रमिक" (contract labour) पदावली की परिभाषा किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसे किसी परिसर में किसी ठेकेदार द्वारा या उसकी मार्फत लगाया गया हो या नियोजित किया गया हो। इसलिए ठेकेदार द्वारा नियोजित समस्त श्रमिक संविदा के अधीन श्रमिक हैं। यदि कोई निर्माता किसी व्यक्ति को किसी ठेकेदार की मार्फत नियोजित करता है तो वह श्रमिक संविदा के अधीन श्रमिक होगा। पुनः ठेकेदार से कोई ऐसा व्यक्ति भी अभिप्रेत है जो किसी प्राइवेट निवास गृह में किसी निर्माण प्रक्रिया के लिए श्रमिक को लगाता है। ऐसी दशा में कोई ऐसा मुख्य नियोजक भी जो किसी निर्माण प्रक्रिया के लिए श्रमिकों को लगाता है ठेकेदार होगा। इसके बाद ठेकेदार शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत कोई अधीनस्थ ठेकेदार, अभिकर्ता, मुंशी, ठेकेदार या साझेदार भी आता है। स्पष्ट है कि इन्हें एक ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को शामिल करने के लिए अन्तर्विष्ट किया गया है जिनकी बाबत इस न्यायालय में कुछ विनिश्चयों की चर्चा की गई है, जिनमें **चिन्तामणि वाला मामला**[1] भी आता है। किसी नियोजक की परिभाषा संविदा के अधीन श्रमिक के संबंध में मुख्य नियोजक के रूप में की गई है। मैंने पहले ही इस बात का संकेत कर दिया है कि संविदा के अधीन श्रमिक के अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आ जाते हैं जो स्वयं

[1] (1958) एस० सी० आर० 1340.

निर्माता द्वारा सीधे नियोजित किए गए हों। मुख्य नियोजक की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसके लिए अथवा जिसकी ओर से कोई संविदा के अधीन श्रमिक किसी स्थापन में लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है। इसलिए जब संविदा के अधीन श्रमिक की किसी व्यक्ति के लिए नियुक्ति की जाती है तो वह मुख्य नियोजक होता है। जब संविदा के अधीन श्रमिक किसी व्यक्ति के लिए लगाया जाता है या उसकी ओर से नियोजित किया जाता है तो वह भी मुख्य नियोजक होता है। इस बात को समझना कुछ कठिन हो जाता है कि इन दो वर्गों में प्रभेद किस प्रकार किया जाए। तथापि खण्ड 2 (जी) (बी) में संविदा के अधीन श्रमिक से भिन्न श्रमिक के सबंध में नियोजक की परिभाषा के द्वितीय भाग में, यद्यपि जो कुछ मैंने पहले कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना कठिन है कि वह अन्य श्रमिक क्या हो सकता है। फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे स्थापन के कार्यकलाप पर अंतिम रूप से नियन्त्रण प्राप्त हो, नियोजक समझने के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है, जिसे स्थापन के कार्यकलाप सौंपे गए हों, चाहे ऐसा अन्य व्यक्ति प्रबन्ध-अभिकर्ता, प्रबन्धक, अधीक्षक के नाम से ज्ञात हो अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो। किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने धन लगाने के कारण माल का परिदाय करने के कारण या अन्यथा किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियंत्रण में सारवान् हित ग्रहण कर लिया हो, वह भी नियोजक होगा जिसे न्यायोचित ठहराना बहुत कठिन है। स्पष्ट है कि यह ऐसे मामलों को अन्तर्विष्ट करने के लिए आशयित है जहां पर कोई व्यक्ति बेनामी तौर पर कारबार करता है अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कारबार करता है। ऐसे उपबंध पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता है, किन्तु केवल इस कारण कि कोई व्यक्ति धन अग्रिम के रूप में देता है या माल का परिदाय करता है उसे नियोजक नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उसे इन अर्थों में निर्माण स्थापन के कार्यकलाप के नियंत्रण में सारवान् हित प्राप्त हो कि अग्रिम के रूप में दिए गए धन के लिए प्रतिभूति इस बात पर निर्भर करती है कि निर्माण स्थापन समुचित रूप से चलाया जाए अथवा इन अर्थों में भी कि माल का परिदाय करने वाला कोई व्यक्ति भी कार्यकलाप के नियंत्रण में हितबद्ध हो क्योंकि वह उधार माल का परिदाय कर रहा है। मेरे विचार में "or who has by reason of his advancing money, supplying goods or otherwise a substantial interest in the control of the affairs of any establishment" (अथवा जिसने पेशगी धन देकर माल का परिदाय करके या अन्यथा किसी स्थापन के कार्यकलाप के नियंत्रण में सारवान हित प्राप्त कर लिया है) शब्दों को विलुप्त कर देना चाहिए।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

89. विद्वान महान्यायवादी द्वारा 'नियोजक' पद का जो निर्वचन किया गया है, वह वस्तुतः अधिनियम में जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, उनसे पैदा नहीं होता है। मेरे विचार में यह महत्वहीन नहीं है कि विद्वान् महान्यायवादी ने यह निर्वचन प्रस्तुत किया था क्योंकि केवल उसी आधार पर यह अधिनियम लागू किया जा सकता है। जबकि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि न्यायालयों को चाहिए कि वे विधानमण्डल के आशयों को क्रियान्वित करे, यह केवल तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना परिनियम की वास्तविक भाषा का उल्लंघन किए बिना संभव हो। स्पष्ट है कि विभिन्न परिभाषाएं प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को शामिल करना चाहती है, जिसका बीड़ियों के निर्माण से कुछ भी सरोकार हो और परिनियम में जो दाण्डिक उपबन्ध विद्यमान हैं, उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न करते समय पर्याप्त कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। एक ओर तो उद्योग परिसर का वास्तविक अधिभोगी हो। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने हो सकता है कि उसे पेशगी धन दिया हो और उसे माल का परिदाय किया हो और इसलिए वह उसके नियंत्रण में सारवान रूप से हितबद्ध हो। यह भी हो सकता है कि स्वयं वास्तविक अधिभोगी एक ठेकेदार हो और ऐसी दशा में वह तथा ऐसा व्यक्ति भी जिसकी ओर से बीड़ियों का निर्माण किया जाता है दायित्वाधीन होगा। प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में वस्तुतः कौन दायित्वाधीन होगा? मैं मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए इस मत से सहमत नहीं हूं कि अधिनियम द्वारा ठेकेदारों की पद्धति को बनाए रखने का आशय प्रदर्शित किया गया है। उसमें तो केवल ठेकेदारों की पद्धति के विद्यमान होने पर ध्यान दिया गया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य नियोजक को प्रत्येक मामले में दायित्वाधीन ठहराकर वहां वस्तुतः यह कोशिश की गई है कि मुख्य नियोजक को इस बात के लिए विवश किया जाए कि वह स्वयं निर्माण का कार्य अपने हाथ में ले बजाए इसके कि वह उस कार्य को ठेकेदारों को दे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वह अन्त में वित्तीय दृष्टि से दायित्वाधीन होगा और अन्यथा भी प्रत्येक ऐसे कर्मकार के प्रति दायित्वाधीन होगा जो कि नियोजित किया गया है। यह भी बहुत हद तक संभव है कि यदि कोई स्वतंत्र ठेकेदार मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **अब्दुल अजीज साहिब एण्ड सन्स** बनाम **भारत संघ**[1] में दिए गए उसके निर्णय में जिस विशिष्ट प्रकार की कल्पना की गई है, उनमें से एक है। अर्थात् कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति से सामग्री खरीदता है, जिसे वह व्यापार चिह्न धारक का नाम देता है और तत्पश्चात् उसे बीड़ियां बेचता है ऐसी दशा में उसे स्वतंत्र ठेकेदार कहा जा सकता है। किन्तु वास्तव में उस दशा में वह स्वयं निर्माता है।

---

[1] (1973) 2 एम० एल० जे० 126.

1974(1) eILR(PAT) SC 1

90. हो सकता है कि वह अपने द्वारा निर्मित बीड़ियों को किसी एक व्यक्ति को न बेच रहा हो बल्कि बहुत से व्यक्तियों को बेच रहा हो। चूंकि बीड़ी उद्योग में यह अवस्था विद्यमान् है कि जो व्यक्ति अन्तिम रूप से लोगों को बीड़ियां बेचता है उन विभिन्न उपायों का प्रयोग करता है जिनके द्वारा वह उद्योग में नियोजित कर्मकारों के कल्याण के लिए कोई उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता है। इसलिए अधिनियम इस आधार पर अग्रसर होता है कि उसे निश्चित रूप से उत्तरदायी बनाया जाए। मैं विद्वान् महा न्यायवादी की इस दलील को स्वीकार करना कठिन समझता हूं कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जो कसौटी अपनाई गई थी, वह वैयक्तिक एवं निर्बन्धनात्मक है। उसे तो केवल जैसा कोई चाहे वैयक्तिक अथवा निर्बन्धनात्मक समझा जा सकता है और वह केवल तब जबकि **दीवान मोहैउद्दीन वाले मामले**[1] में जो स्थिति सामने आई थी, वैसी स्थिति का सामना करना पड़े। किन्तु यदि यथाकथित ठेकेदार वस्तुतः निर्माता के लिए बेनामी है तो निर्माता को उत्तरदायी ठहराने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी।

91. विभिन्न अपीलार्थियों की ओर से जो मुख्य दलीलें दी गई हैं, वे अधिनियम की धारा 26, 27, 29, 31 तथा 37 के उपबन्धों और महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 की बाबत तथा विभिन्न अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए तत्स्थानी नियमों के उपबन्धों की बाबत हैं। विभिन्न अपीलार्थियों द्वारा जो अत्यन्त समाधानप्रद कारण दिए गए थे और जो आलोचना की गई थी वह विद्वान् महान्यायवादी द्वारा दी गई दलीलों के रूप में नहीं थी। अब यह **चिन्तामणि राव वाले मामले**[2], **शंकर बालाजी वाजे वाले मामले**[3] तथा **भिकुसे वाले मामले**[4] से सुस्थिर हो चुका है कि इस उद्योग में ऐसे व्यक्ति भी जो निर्माताओं के कारखानों में काम कर रहे हों, तब चाहें कारखानें में आते हैं और जब चाहें वहां से चले जाते हैं और किन्हीं दिनों तो वे केवल दिन में एक घन्टे ही काम करते हैं और काम के कोई निश्चित घन्टे नहीं होते हैं। इस प्रकार की स्थिति मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि कर्मकार को संदाय प्रति वस्तु के हिसाब से किया जाता है और काम भी अंशकालिक उपजीविका के रूप में किया जाता है। उन्हें जो बात लागू होती है वह घर में काम करने वाले कर्मकारों को और भी अधिक प्रबल रूप से लागू होती है। इसलिए जब धारा 26 में यह उपबन्ध किया जाता है कि

---

[1] (1964) 7 एस० सी० आर० 646.

[2] (1958) एस० सी० आर० 1340.

[3] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

[4] (1964) 1 एस० सी० आर० 860.

किसी स्थापन में प्रत्येक कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत निवास गृह भी शामिल है) को प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में पूर्व में पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्रत्येक 20 दिनों में किए गए काम के लिए एक दिन के हिसाब से मजदूरी सहित छुट्टी दी जाएगी, एक वास्तविक कठिनाई उत्पन्न करती है। इस आलोचना में भले ही बहुत सार न हो, पर जबकि कारखाना अधिनियम में केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए वार्षिक छुट्टी की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने एक वर्ष में 240 दिन काम किया था, इस अधिनियम में प्रत्येक 20 दिनों के लिए जिनके दौरान उन्होंने काम किया हो, एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई है। हो सकता है कि ठेकेदार के लिए उसके द्वारा रखी गई लॉग बुक से यह जानना संभव हो कि घर पर काम करने वाले कर्मकार ने कितने दिन काम किया है। किन्तु वह मजदूरी क्या होगी, जो छुट्टी की कालावधि के दौरान उसे सदत्त की जाएगी। उस कालावधि की परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है और उस पद के अर्थ को समझने के लिए अन्य अधिनियमों के प्रति निर्देश करना अनुज्ञेय नहीं है। यदि हम यह मान लें कि साधारण परिपाटी में क्या होता है, तो भी यह कहना संभव नहीं है कि घर पर काम करने वाले कर्मकारों की दशा में मजदूरी क्या होगी। हो सकता है कि कोई घर पर काम करने वाला कर्मकार एक दिन में एक घण्टे के लिए काम करे, किसी अन्य दिन वह 8 घण्टे काम करे और बहुत से दिनों वह बिलकुल भी काम न करे। ऐसी दशा में उसे संदेय मजदूरी क्या होगी ? मैं इस उपबन्ध की युक्तियुक्तता का समर्थन नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस कठिनाई पर जोर दे रहा हूं जो इस उपबन्ध को क्रियान्वित करने में पेश आती है। यही आलोचना उन विभिन्न अन्य उपबन्धों की दशा में लागू होती है जो उस दशा में अन्तर्विष्ट हैं। धारा 27 में यह उपबन्ध किया गया है कि धारा 26 के अधीन किसी कर्मचारी को अनुज्ञात की गई छुट्टी के लिए उसे उस दर पर संदाय किया जाएगा जो उन दिनों के लिए जिनको उसने अव्यवहित पश्चात्वर्ती मास के दौरान कार्य किया है, उसमें कुल पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के समान होगी। और इसमें ऐसे अतिकाल उपार्जन तथा बोनस को अन्तर्विष्ट नहीं किया जाएगा, किन्तु महगाई और अन्य भत्तों को शामिल किया जाएगा। "पूर्णकालिक उपार्जन" पद का निर्वचन शंकर बालाजी वाजे वाले मामले[1] तथा सिकुसे वाले मामले[2] में किया गया है। यदि वह शंकर बालाजी वाले मामले में पाण्डुरंग जैसे कर्मचारी को लागू नहीं होता है तो वह घर पर काम करने वाले कर्मकार को भी लागू नहीं हो सकता है। इस कठिनाई पर स्पष्टीकरण 2 द्वारा काबू नहीं पाया जा सकता है।

[1] (1962) सप्लीमेण्ट 1 एस० सी० आर० 249.

[2] (1964) 1 एस० सी० आर० 860.

जिसमें 'दिन' का वर्णन किसी ऐसी कालावधि के रूप में किया गया है जिसके दौरान घर पर काम करने वाले कर्मकार 24 घण्टों की कालावधि के दौरान नियोजित किया गया था। उससे पूर्णकालिक उपार्जनों की कल्पना करने में सहायता नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त जब काम की कालावधि कुछ भी न हो और घर पर काम करने वाले कर्मकार की दशा में काम के कोई नियत घण्टे न हों तो भला उसमें "पूर्णकालिक उपार्जन" पद का क्या अर्थ लगाएंगे। मैं विद्वान् महान्यायवादी द्वारा धारा 23 के इस निर्वचन से सन्तुष्ट नहीं हूं कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् शंकर बालाजी वाले मामले में पाण्डुरंग जैसे कर्मकार के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह उस मामले में वर्णित शर्तों के अधीन काम कर सके। यदि किसी व्यक्ति को धारा 22 के अधीन परिसर में प्रदर्शित काम की सूचना के अनुसार के सिवाए नियोजित नहीं किया जाना चाहिए तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह काम की सूचना में वर्णित कालावधि से कम कालावधि के लिए काम नहीं कर सकता है। केवल तब जबकि उसे काम की सूचना में वर्णित समय से अधिक समय के लिए नियोजित किया गया हो, उद्योग परिसर का अधिभोगी अपने विरुद्ध वाद चलाए जाने के लिए अपने आपको दायित्वाधीन बनाएगा। किसी भी स्थिति में यदि वह निर्वचन सही हो तो भी वह घर पर काम करने वाले किसी कर्मकार को लागू नहीं होगा।

92. उसी प्रकार मैटरनिटी बैनिफिट्स ऐक्ट के उपबन्धों को लागू करने में जो कठिनाई होती है वह भी स्पष्ट है। चूंकि घर पर काम करने वाले कर्मकारों को उनके घरों में काम करने की इजाज़त देने का प्रयोजन यही है कि बीड़ियां लपेटने का काम एक ऐसा काम है जिसे पुरुष और स्त्रियां अपने फालतू समय में अपने घर में कर सकते हैं, इसलिए मैटरनिटी बैनिफिट्स ऐक्ट का वह उपबन्ध जो इस बारे में है कि स्त्रियों को प्रसूति के पूर्व तथा उसके पश्चात् कुछ कालावधि के लिए कठिन परिश्रम न करने दिया जाए अपेक्षित नहीं है। और भला यह उपबन्ध स्त्रियों को कैसे लागू किया जा सकता है जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें प्रसूतिकाल से पूर्व कुछ समय के लिए निरन्तर नियोजित रखा गया है।

93. धारा 31 के अधीन कोई भी नियोजक किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं करेगा जिसे छह मास या उससे अधिक कालावधि के लिए नियोजित रखा गया हो, सिवाए वहां जहां पर कोई युक्तियुक्त कारण हो और ऐसे कर्मचारी की सेवा कम से कम एक मास की सूचना दिए बिना या ऐसी सूचना के बदले में मजदूरी दिए बिना समाप्त नहीं की जाएगी। क्या यह पर्याप्त है कि कर्मचारी को छह मास की कालावधि के लिए नियोजित रखा गया है जबकि वह उन छह

1974(1) eILR(PAT) SC 1

मास के दौरान प्रत्येक मास में एक या दो दिन ही काम करता रहा है और किसी भी दशा में भला सूचना के बदले में उसकी मजदूरी का अवधारण कैसे किया जाएगा ? और फिर से कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए सक्षम नियोजक कौन होगा ? यदि कोई ठेकेदार धारा 31 के उल्लंघन में किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर देता है और उसे पहली बार धारा 33 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है तो क्या मुख्य नियोजक, यदि द्वितीय अभियोजन चलाया जाता है तो कारावास के लिए दायित्वाधीन होगा ? यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अधिनियम के वास्तविक कार्यकरण में पैदा होनी संभव हैं ।

94. यहां पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा आक्षेप किसी भी उपबन्ध के बारे में इस आधार पर नहीं है कि वह अयुक्तियुक्त अथवा असांविधानिक है । विद्वान् महान्यायवादी ने रायल कमीशन आन लेबर की रिपोर्ट, रीज कमेटी की रिपोर्ट तथा डा० बी० वी० एन० नायडू एवं श्री एम० ए० नटराजन की रिपोर्टों से जो विस्तृत उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, वे उन दुर्दशाओं को प्रदर्शित करते हैं जिनमें कि उद्योग में कर्मकार काम करते हैं । कोई भी व्यक्ति उन बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता के बारे में विवाद नहीं कर सकता है । किन्तु किन्हीं भले आशयों के परिणाम स्वरूप ऐसा विधान नहीं लाया जाना चाहिए जो निष्प्रभावी हो जाए और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी निष्फल मुकदमेबाजी वर्षों तक चले । मेरे विचार में यहां सावधानी के रूप में कुछ कहना आवश्यक है अन्यथा इस तथ्य का कि हमने अधिनियम की विधिमान्यता को कायम रखा है, विभिन्न न्यायालयों तथा अधिकरणों द्वारा इस प्रकार निर्वचन किया जा सकता है कि विभिन्न उपबन्धों के किसी एक या अन्य निर्वचन को मान्यता दी गई है । इससे तो मुकदमेबाजी का तांता लग जाएगा । इसलिए मैं अधिकतर उच्च न्यायालयों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित करता हूं कि धारा 26, 27, 31 और 37(3) घर पर काम करने वाले कर्मकारों को लागू नहीं होती हैं ।

95. अन्त में जहां तक महाराष्ट्र रूल्स के नियम 37 का सम्बन्ध है, अपीलार्थियों द्वारा यह युक्तियुक्त माना गया था कि उसका निर्वचन इन अर्थों में किया जाए कि आम तौर पर 5% तक की छंटनी स्वीकार की जा सकती है । किन्तु यदि इससे अधिक बीड़ी रद्द कर दी जाती हैं तो उस पर निरीक्षक द्वारा विनिश्चय दिया जा सकता है । यह कहा गया था कि 5% से अधिक की छंटनी को रद्द करने की बात निरीक्षक के विनिश्चय पर निर्भर करने से वे सभी बीड़ियां बेकार हो जाएंगी क्योंकि उन्हें तुरन्त गर्माना पड़ता है । मेरे विचार में वह निर्वचन सही है और अन्य राज्यों को चाहिए कि वे नियमों का इस प्रकार संशोधन कर लें कि उन्हें महाराष्ट्र रूल्स के अनुरूप कर लिया जाए ।

1974(1) eILR(PAT) SC 1

96. मैंने अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का निर्वचन करने का प्रयत्न इसलिए नहीं किया है कि उनकी सांविधानिकता अथवा निबन्धनों की युक्तियुक्तता पर इस रूप में विचार किया जाए कि सांविधानिकता पर असर पड़ता है, किन्तु यहां उनका निर्वचन इस दृष्टि से किया गया है कि अधिनियम के उपबन्धों को वास्तविक रूप से लागू करने में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। मेरे विचार में, यह सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के हित में होगा यदि अधिनियम का संशोधन यथा संभवशीघ्र करके सभी त्रुटियों को और कठिनाइयों को, जिनका ऊपर हवाला दिया गया है, दूर कर दिया जाए। ये कठिनाइयां इस कारण पैदा हुई हैं कि उपबन्धों को अन्धाधुंध लागू करने का प्रयत्न किया गया है, हालांकि वे उस दशा में सुचारू रूप से लागू की जा सकती हैं यदि उन्हें उन अवस्थाओं में लागू किया जाए जिनमें कारखाना अधिनियम लागू होता है जहां श्रमिक वर्ग किसी निश्चित कालावधि के दौरान प्रत्येक दिन नियमित रूप से हाजिर रहता है और जहां काम की शर्तें अत्यधिक भिन्न हैं तथा उन्हें ऐसे लोगों को, जो घर पर काम करते हैं, उन दशाओं में ढालने का सजग प्रयत्न किये बिना, लागू किया जाता है। जितनी जल्दी ऐसा किया जाता है, उतना ही यह सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए उचित होगा।

अपीलें मंजूर की गईं।

भू०